भारतीय स्टेट बँक
भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

June 16, 2020
CC/S&B/SA/86

The Executive Director
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400001.

The Executive Director
National Stock Exchange of India Ltd
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G- Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra – East,
Mumbai – 400051.

Dear Sir/Madam,

Sub: **SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**
General Meeting of Shareholders of the Bank
Intimation and submission of copy of Gazette Notification

In terms of Regulation 4(2)(b)(i) of the Listing Regulations, we advise that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of India will be held on Tuesday, the 14th July, 2020 at 3.00 p.m. at the State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021 (Maharashtra). If the conditions are not conducive and the local authorities do not permit to hold physical General Meeting, the Meeting will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact business mentioned in the Notice dated 10.06.2020. We have arranged for the publication of the said notice in the Gazette of India, in accordance with Regulation 21 of SBI General Regulations, 1955 and in newspapers having wide circulation in India in English and Hindi language and in Regional Language i.e. in Marathi. (Copy enclosed)

Please take the above information on record.

Thanking you,

Yours faithfully,
For State Bank of India

Sanjay M. Abhyankar
Vice President – Compliance (Company Secretary)

bank.sbi
+91 22 2274 0841 / 49
+91 22 2274 1476 / 74 / 31
+91 22 2274 2842
+91 22 2285 5348
+91 22 2274 0527

शेयर एवं बॉन्ड विभाग,
कॉर्पोरेट केन्द्र,
14वा माळा, स्टेट बँक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई – ४०००२१, भारत

शेयर आणि बॉन्ड विभाग,
कारपोरेट केन्द्र,
14वाँ तल, स्टेट बैंक भवन,
मादाम कामा रोड,
मुंबई – ४०००२१, भारत

Shares & Bonds Dept,
Corporate Centre,
14thFloor, State Bank Bhavan,
Madame Cama Road,
Mumbai - 400021, India

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15062020-219940
CG-MH-E-15062020-219940

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 198] नई दिल्ली, सोमवार, जून 15, 2020/ज्येष्ठ 25, 1942
No. 198] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 15, 2020/JYAISTHA 25, 1942

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

सूचना

मुम्बई, 10 जून, 2020

फा. सं. सीसी /एस&बी /एसए /79.—एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की आमसभा दिनांक 14 जुलाई 2020, मंगलवार को 03.00 बजे अपराह्न स्टेट बैंक ऑडिटोरियम, स्टेट बैंक भवन कॉम्प्लेक्स, मादाम कामा रोड, मुंबई-400021(महाराष्ट्र) में आयोजित की जाएगी। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं और स्थानीय प्राधिकारियों ने प्रत्यक्ष सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी तो तो बैठक आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम (ओएवीएम) सुविधा से आयोजित की जाएगी:

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करने और विचार करने पर यदि ठीक पाया गया, तो उन्हें संशोधन के साथ या संशोधन के बिना एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (यहां इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा गया है) के साथ पठित भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियमन, 1955 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा/अथवा कोई अन्य प्राधिकरण,चाहे भारत में या विदेश में हो,के अनुमोदन, सहमति और संस्वीकृति, यदि कोई हो (हों), के तहत और उससे संबंधित ऐसे निबंधनों, शर्तों और संशोधनों के तहत जो उनके अनुसार ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए दिए जाएंगे और जिनके लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक बोर्ड (यहाँ इसके पश्चात'बोर्ड' कहा गया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम, 1955 के विनियम 46 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति)और केंद्रीय बोर्ड द्वारा

अपने अधिकारों (इस संकल्प द्वारा दिए गए अधिकारों) का प्रयोग करने के लिए विधिवत प्राधिकृत निदेशकों की कोई अन्य समिति सहमत होगी और सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण शर्तें जारी करना विनियम, 2018) ("**आईसीडीआर विनियम** ") के रूप में तारीख तक संशोधन लागू करने के लिए विषय नियम, विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्रों, द्वारा जारी किए गए सूचनाएं सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक और/ या और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों, भारत में या विदेश में, समय-समय पर और विषय के लिए करने के लिए सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 (" **लिस्टिंग विनियम** ") और लिस्टिंग एग्रीमेंट स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए जहां इक्विटी शेयर / जीडीआर रों बैंक के सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति और बोर्ड द्वारा दी गई है। सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा/अथवा अन्य दूसरे संबद्ध प्राधिकरण चाहे भारत या विदेश में हो, द्वारा समय-समय पर जारी प्रयोज्य नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं के तहत तथा उन शेयर बाजारों, जहां बैंक के ईक्विटी शेयर/जीडीआर सूचीबद्ध किए गए हैं, के साथ किए गए सूचीबद्ध करारों के तहत बोर्ड को बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए और एतदद्वारा सहमति प्रदान की जाती है :-

क. प्रति शेयर रु.1 के ईक्विटी शेयरों को ऐसी संख्या में सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित और आबंटित करने, जिनकी राशि रु.20,000 करोड़ (बीस हज़ार करोड़ रुपए) या ऐसी राशि से अधिक नहीं होगी जैसी भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जाएगी, और साथ में यह शर्त रहेगी कि ईक्विटी पूंजी में किसी भी समय भारत सरकार की ईक्विटी शेयर पूंजी 52% से कम नहीं हो, और ये शेयर पब्लिक इश्यू (अर्थात इसके बाद पब्लिक में की जाने वाली पेशकश) या राइट्स इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट जिसमें पात्र संस्थाओं मेंनिवेश (क्यूआईपी)/ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर)/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) तथा/अथवा अन्य दूसरे रूप में या उनकेकिसी मिलेजुले रूप में होंगे, जैसे बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

ख. इस इश्यू(इन इश्यूज़) की मात्रा और रूप, श्रृंखलाओं की संख्या, कीमत या कीमतें, छूट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारक और/या किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित शेयर और समय अपने विवेकानुसार निर्धारित करना, पर यह निर्धारण लागू नियमों और विनियमों, आईसीडीआर विनियमों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन (नॉन-डेब्ट इंस्ट्रुमेंट) नियम, 2019 डिपॉजिटरी रसीद योजना 2014 तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के अंतर्गत भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के तहत होगा।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थाओं में निवेश (क्यूआईपी)/अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ)/अन्य कोई रूप में, जैसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, प्रस्तावितऔर आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयर कागज रूप में नहीं होंगे, सिवाय राइट्स इश्यू के जहाँ शेयरों को कागजी और गैर-कागजी रूप में जारी किया जाएगा, और इस प्रकार एनआरआई, एफआईआई तथा/अथवा अन्य पात्र विदेशी संस्थागत निवेशकों को आबंटित किए गए ईक्विटी शेयर/जीडीआर/एडीआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों एवं विनियमों के तहत रहेंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत निवेश (क्यू.आई.पी)/अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ)/राइट इश्यू/जीडीआर/एडीआर तथा अथवा अन्य किसी रूप में या उनकेकिसी मिलेजुले रूप में, जैसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, प्रस्तावित तथा आबंटित किए जाने वाले ईक्विटी शेयर सभी तरह से बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों की तरह निवेश किया जाएगा और घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि कोई लाभांश घोषित किया जाएगा, तो यह इन पर भी लाभांश मिलेगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी के मामले में, ईक्विटी शेयरों का आबंटन 5% तक की छूट (डिस्काउंट) पर यदि कोई हो या ऐसी कोई छूट जिसे सेबी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, केवल पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईपी) को ही किया जाएगा और ऐसे शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तिथि से बारह महीने की अवधि के अंदर पूर्ण किया जाएगा तथा संबंधित तिथि समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के प्रावधानों के अनुसार रहेगी।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि शेयरों के निर्गम, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और संस्वीकृतियाँ प्रदान करने/संस्वीकृत करने के समय इस प्रस्ताव में इस प्रकार के किसी ऐसे संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं अधिकार बोर्ड के पास रहेगा जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/शेयर बाजार

तथा/अथवा अन्य दूसरे प्राधिकरण चाहे भारत या विदेश में हो, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर/जीडीआर/एडीआर सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किए जा सकते हैं या अन्य उपयुक्त प्राधिकरण के लिए आवश्यक होंगे या उनके द्वारा लागू किए जाएंगे और जिनके लिए बोर्ड सहमत होगा।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए; बोर्ड को ऐसी सभी कार्रवाइयाँ करने और ऐसे सभी कार्य करने, ऐसे सभी विलेख निष्पादित करने, ऐसे सभी कृत्यों को करने; जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे जाएंगे; तथा ऐसे किसी मामले जो कि केवल सीमित नहीं है पर केवल ये ही सम्मिलित नहीं हैं यथा मात्रा और रूप, श्रृंखलाओं की संख्या, कीमत या कीमतें, छूट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारक और/या किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित शेयर कठिनाई या संदेह का निवारण करने जो ईक्विटी शेयरों/जीडीआर/एडीआर के निर्गम के संबंध में उठ सकते हैं, और ऐसे सभी दस्तावेजों और लिखावटों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने जो ठीक, उपयुक्त और वांछनीय होंगे जिनके लिए उसके पूर्ण विवेकाधिकार से शेयरधारकों की अन्य किसी सहमति या अनुमोदन आवश्यकता नहीं होगी; प्राधिकृत किया जाता है या इस उद्देश्य और इसअभिप्राय से प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया गया समझा जाए।"

व्याख्यात्मक विवरण

<u>पब्लिक इश्यू (अर्थात अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) या प्राइवेट प्लेसमेंट जिनमें पात्र संस्थाओं में निवेश (क्यूआईपी)/जीडीआर/एडीआर, और /अथवा अन्य किसी रूप में या उनके मिले जिले रूप में जैसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है</u>

भारत में बेसल III पूंजी विनियम को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित करने के दिशा-निर्देश 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी है। दिशानिर्देशों को 30 सितंबर 2020 से पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा जिसे आरबीआई के द्वारा मार्च 2019 से मार्च 2020 तक फिर सितंबर 2020 तक दो बार स्थगित किया गया था। बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 31 मार्च 2020 को 13.06% सीईटी-1 पूंजी 9.77% के साथ था। बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक बासेल 3 के दिशानिर्देशों के अनुरूप न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखा जाए। तथापि, लाभ के पुनर्निवेश और आरडब्ल्यूए में संवृद्धि के अनुमानों के आधार पर यह अपेक्षा की जाती है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। COVID-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में, आरबीआई का विचार है कि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और घाटे को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए बैंकों को पूंजी का संरक्षण करना चाहिए।

इसके साथ, आस्तियों में अपेक्षित वृद्धि और पूंजी पर्याप्तता अनुपात के निर्धारित स्तर को बनाए रखने के लिए बैंक को पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता है। विशेष रूप से, पूंजी संरक्षण प्रतिरोधक (सीसीबी), अर्थात् सितंबर 2020 तक अतिरिक्त 0.625%। आरबीआई के द्वारा मार्च 2019 से मार्च 2020 तक फिर सितंबर 2020 तक दो बार स्थगित (31.03.2020 के स्तर से ऊपर 1.875 प्रतिशत) प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशीय बैंकों (डी-एसआईबी) अर्थात् 0.60 प्रतिशत 01.04.2019 से और प्रति चक्रीय पूंजी प्रतिरोधक स्तर 0%-2.50% जो भारतीय रिज़र्व बैंक के चार तिमाहियों के दिशानिर्देशों पर निर्भर करता है। तदनुसार, चालू वर्ष और आने वाले वर्षों के दौरान व्यवसाय में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अधिक पूंजी, विशेषकर टियर-1पूंजी की अधिक आवश्यकता है। प्रारंभिक स्तर पर, अंतिम स्थिति वाले पूंजी अनुपात से, वित्त वर्ष 21 की पूंजी आवश्यकताओं के लिए आसान पारगमन सुनिश्चित हो सकेगा।

भारत सरकार सुधार एजेंडा के अनुरूप उत्तरदायी और जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए, बैंक ने भारत सरकार के अलावा अन्य निवेशकों को साझा इक्विटी जारी करके वित्त वर्ष 2019 और 2020 के दौरान इक्विटी पूंजी को 20,000 करोड़ रुपये की राशि देने के लिए सुधार एजेंडा शुरू किया था। हालांकि, बाजार की स्थिति बाजार से इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए अनुकूल नहीं थी, जिसमें शेयर मूल्य कम मूल्य से बुक वैल्यू तक थी। आगे इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए आरबीआई और भारत सरकार की मंजूरी 31 मार्च, 2020 तक लागू थी जबकि इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी 6 दिसंबर, 2019 को समाप्त हो गई थी। इसलिए, निदेशक मंडल ने एफपीओ/क्यूआईपी/तरजीही आवंटन/ राइट इश्यू/किसी अन्य मोड या इनके संयोजन के माध्यम से बाजार से 20,000 करोड़ रुपये तक इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए वैधता अवधि को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है।

विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने और साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखने के बाद, बैंक ने पूंजी जुटाने के लिए बाजार में जाने की योजना बनाई है जिसके लिए वह रु.20,000 करोड़ (बीस हज़ार करोड़ रुपए) तक या ऐसी राशि जो भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जा सकती है, के लिए प्रति शेयर रु.1 के ईक्विटी शेयर जारी करेगा परंतु इस शर्त के साथ कि ईक्विटी पूंजी में भारत सरकार की शेयरधारिता किसी भी समय 52% से कम नहीं होगी और बाजार से पात्र संस्थान स्थानापन्न (क्यूआईपी)/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/राइट इश्यू/वैश्विक डिपॉजिटरीरसीद/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद तथा/अथवा अन्य किसी रूप में या उनके संयोजन में जिसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, एक या एक से अधिक श्रृंखला में जारी करेगा और साथ में ऐसी निबंधन एवं शर्तें होंगी जो बैंक के श्रेष्ठ हित के लिए उचित समझी जा सकती है। बैंक बाजार से पूंजी जुटाने और उसके तरीके के लिए आरबीआई और भारत सरकार से आवश्यक मंजूरी मांगेगा और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 41 के संदर्भ में, शेयरधारकों के लिए यह आवश्यक है कि वे आनुपातिक आधार पर उन्हें पेश नहीं किए जाने पर किसी और सुरक्षा के मुद्दे को मंजूरी दें। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित एफपीओ/ निजी प्लेसमेंट/ क्यूआईपी/ जीडीएस/ एडीआरएस/ और/ या उसके संयोजन (एस) के माध्यम से इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए विस्तृत नियम और शर्तों का निर्धारण बोर्ड द्वारा विभिन्न बिचौलियों के परामर्श से किया जाएगा और ऐसे अन्य संबंधित और उपयुक्त प्राधिकरणों को मौजूदा बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करके किया जाएगा।

इस इश्यू से जुटाई गई राशियों का उपयोग; बैंक की दीर्घावधि निधि की आवश्यकताओं को पूरा करने, , बैंक की विकास पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने, बैंक के पूँजीगत व्यय को पूरा करने, निवेश/ऋण और अग्रिम प्रदान करने, अपने दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने और इस प्रकार बैंक और उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों और अन्य सामान्य बैंकिंग प्रयोजनों के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा और अन्य लागू कानूनों के अनुसार अनुमत है; के लिए किया जाना प्रस्तावित है ।

विशेष संकल्प में बोर्ड को इक्विटी शेयर/जीडीआर/एडीआर को एक या अधिक किस्तों में, ऐसे समय या समय पर, ऐसी कीमत या कीमतों पर और ऐसे निवेशकों को जारी करने की शक्तियां प्रदान करना है जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित समझे। निदेशक बोर्ड, सभी संबंधित सांविधिक नियमों के अनुपालन के अधीन, सार्वजनिक मुद्दे के माध्यम से प्रस्तावित इक्विटी जुटाने के संबंध में नियामक या किसी अन्य लागू दिशानिर्देश, सूचनाएं और परिपत्र, (यानी आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) या क्यूआईपी या निजी प्लेसमेंट, जिसमें ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीएस) /अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआरएस) और/या किसी अन्य मोड (एस) या उसके संयोजन (एस) को, भारत सरकार और आरबीआई द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार, आपके अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

<u>वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए आम सभा में हिस्सा लेने और दूर से ई-मतदान सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मतदान करने के लिए अनुदेश</u>

1. कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 8 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक 20/2020 ("एमसीए परिपत्र") और उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक सेबी/एचओ/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के अनुसार ईजीएम/एजीएम स्थल पर सदस्यों का प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है और वार्षिक महासभा (एजीएम) वीडियो कान्फरेंसिंग अथवा अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः सदस्य आगामी आम सभा में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम पर उपस्थित होकर हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए सदस्यों का एक ही जगह पर प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है। सभा का अनुमत स्थान बैंक के कॉरपोरेट केंद्र का स्टेट बैंक सभागार होगा।
2. बैंक के सदस्यों को वीडियो कान्फरेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 34 में निर्धारित किए गए अनुसार प्रॉक्सी की नियुक्ति करने और सदस्यों की ओर से मतदान करने की सुविधा इस आम सभा के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम,

1955 के विनियम 32 एवं 33 में निर्धारित किए गए अनुसार वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम के जरिए आम सभा में उपस्थित होने और ई-मतदान के जरिए अपना मत देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने हेतु निकाय कॉरपोरेट पात्र होंगे।

3. इस सूचना में उल्लिखित कार्यविधि का पालन करते हुए सदस्य आम सभा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से सभा में भाग ले सकते हैं। पहले आए, पहले पाए आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आम सभा में हिस्सा लेने की सुविधा दी जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% अथवा उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आए, पहले पाए की शर्त के बिना आम सभा में हिसा लेने की अनुमति है।

4. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 24 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के प्रयोजन से वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आम सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मान्य होगी।

5. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) के विनियम 44 (यथा संशोधित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैंक आम सभा की कार्यवाही में अपने सदस्यों को दूर से ई-मतदान की सुविधा दे रहा है। इसके लिए बैंक ने नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ प्राधिकृत एजेंसी के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा मुहैया कराने के लिए करार किया है। आम सभा की तारीख अर्थात 14 जुलाई 2020 को सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-मतदान व्यवस्था के इस्तेमाल और सभा स्थल पर मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

6. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 के अनुरूप आम सभा आयोजित करने की सूचना बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अपलोड की गई है। इस सूचना को स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर देखा जा सकता है और आम सभा संबंधी सूचना एनएसडीएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

7. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए आम सभा का आयोजन वीसी/अन्य विजुअल माध्यम के जरिए किया जा रहा है। स्थितियाँ अनुकूल होने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आम सभा के आयोजन के लिए अनुमति दिए जाने पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के अनुसार सभा आयोजित की जाएगी।

8. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 7 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार सबसे पहले हो, आम सभा में मतदान करने का पात्र होगा, बशर्ते कि मत दूर से ई-मतदान के जरिए न डाला जा चुका हो।

9. वे सदस्य जो वीसी के जरिए उपस्थित होना चाहते हैं और जो दूर से ई-मतदान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें आम सभा में ई-मतदान के जरिए मत देने की अनुमति दी जाएगी।

सदस्यों के लिए दूर से ई-मतदान करने के अनुदेश नीचे दिए गए हैं:-

दूर से ई-मतदान की अवधि 10 जुलाई, 2020 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10 बजे शुरू होगी और 13 जुलाई, 2020 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूर से ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार मतदान किए जाने के बाद मत को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 में निर्धारित तारीख को कागज़ रूप में अथवा कागजरहित रूप में शेयर रखने वाले बैंक के सदस्य दूर से ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं।

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली के इस्तेमाल से मैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकता/सकती हूँ?

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल करके मतदान करने की प्रक्रिया "दो चरण" की है, जो नीचे दी गई है :

चरण 1 : https://www.evoting.nsdl.com/ पर एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर लॉग-इन करें

चरण 2 : एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करें

चरण 1 के विवरण नीचे दिए गए हैं:

एनएसडीएल की ईमतदान प्रणाली पर कैसे लॉग इन करें-?

1. एनएसडीएल की ई मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर- https://www.evoting.nsdl.com/ यूआरएल टाइप कर वेब ब्राउजर खोलें।
2. ई मतदान व्यवस्था का होम पेज आते ही-"लॉगइन-" आइकॉन पर क्लिक करें, जो "शेयरहोल्डर्स" भाग में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, पासवर्ड एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।

आपने एनएसडीएल की ईसेवाओं अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकरण किया है-, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉग इन से-https://eservices.nsdl.com पर लॉगइन विवरण से -इन कर सकते हैं। अपने लॉग-2-मतदान पर क्लिक करें और आप चरण-इन करते ही ई-सेवाओं पर लॉग-एल की ईएनएसडीके अनुसार अपना इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं।

4. आपकी यूजर आईडी के विवरण नीचे दिए गए हैं:

शेयर किस रूप में हैं अर्थात कागज़रहित/डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा कागज़ में	**आपका यूजर आईडी :**
क) वे सदस्य, जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं	8 कैरेक्टर डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक-आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है, तो आपका यूज़र आईडी होगा IN300***12******
ख) वे सदस्य, जिनके शेयर सीडीएसएल में डीममैट खाते में हैं	16 अंकों का लाभार्थी का आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12********** है, तो आपका यूजर आईडी होगा 12**********
ग) कागज़ रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	सम संख्या उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और सम संख्या 101456 है तो यूजर आईडी होगा 101456001***

5.आपके पासवर्ड के विवरण नीचे दिए गए हैं :

क) यदि आपने ई-मतदान के लिए पहले से ही पंजीकरण कराया है, तो आप लॉगइन करने के लिए वर्तमान पासवर्ड का

इस्तेमाल कर अपना मतदान कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभ में सूचित पासवर्ड को रिट्रीव करना होगा। प्रारंभिक पासवर्ड को रिट्रीव करते ही आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

ग) अपने प्रारंभिक पासवर्ड को कैसे रिट्रीव करें?

(i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमेट खाते अथवा बैंक के पास पंजीकृत है, तो प्रारंभिक पासवर्ड की सूचना आपको आपके ई-मेल आईडी पर दी जाएगी। अपने मेल बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को ढूंढ लें। ई-मेल खोलकर उसकी अटैचमेंट अर्थात पीडीएफ फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, कागज़ रूप से धारित शेयरों के सीडीएसएल खाते का 8 अंकों का ग्राहक आईडी अथवा फोलियो नंबर ही पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपका यूजर आईडी और प्रारंभिक पासवर्ड होगा।

(ii) यदि आपका ई-मेल पंजीकृत नहीं है, तो नीचे ई-मेल पंजीकृत न करने वाले शेयरधारकों के लिए दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

6. यदि आप "प्रारंभिक पासवर्ड" रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं अथवा वह आपको नहीं मिला है अथवा आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें। (यदि एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट में आपके शेयर हैं)

ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Physical User Reset Password?" पर क्लिक करें। (यदि आपके शेयर कागज़ रूप में हैं)

ग) उपर्युक्त दोनों विकल्पों के द्वारा पासवर्ड पाने में असमर्थ होने पर आप evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध अपने डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, पैन नंबर, नाम एवं पंजीकृत पते का विवरण देते हुए भेज सकते हैं।

घ) एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था से मतदान करने के लिए सदस्य ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगइन का उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद "'टर्म्स एंड कंडीशंस" का चयन करें और उनसे सहमत होने पर चैक बॉक्स में टिक का निशान लगाएँ।

8. अब आपको "लॉगइन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगइन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-मतदान का होम पेज खुलेगा

चरण 2 की जानकारी नीचे दी गई है :

<u>एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर कैसे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर दें?</u>

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद आप ई-मतदान का होम पेज देख पाएंगे। ई-मतदान पर क्लिक करें। उसके बाद एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करने के बाद आप उन सभी "ईवीईएन" कंपनियों को देख पाएंगे, जिनके शेयर आपके पास हैं और जिनकी वोटिंग साइकल एक्टिव स्टेटस में है।
3. बैंक के "ईवीईएन" का चयन करें, जिसे आप अपना मत देना चाहते हैं।
4. वोटिंग पेज खुल जाने पर आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं।
5. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेन्ट, का चयन कर, उन शेयरों की संख्या की जांच/संशोधन करें जिनके लिए आप अपना मत देना चाहते हैं, अपना मत दें, और "सबमिट" पर क्लिक करें। कहे जाने पर "कनफर्म" पर भी क्लिक करें।

6. पुष्टि के बाद "सफलतापूर्वक मतदान किया गया" संदेश दिखाई देगा।
7. कनफर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प को क्लिक कर आप अपने मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
8. रिसोल्यूशन पर अपने मतदान की पुष्टि के बाद आपको अपने मतदान में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, हिंदू अविभाज्य परिवार, अनिवासी भारतीय आदि से भिन्न) से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के नमूना हस्ताक्षर से विधिवत सत्यापित संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्केन की हुई प्रति संवीक्षक (Scrutinizer) को info@mehta-mehta.com पर मेल से भेज दें। इसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी भेज दें।
2. आपको हिदायत दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-मतदान के लॉगइन को डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको www.evoting.nsdl.com पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" अथवा "Physical User Reset Password?" का चयन करना होगा।
3. संदेह होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों के ई-मतदान यूजर मैनुअल को देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर श्री अमित विशाल, सीनियर मैनेजर अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, मैनेजर, एनएसडीएल को अपना अनुरोध भेज सकते हैं अथवा टेलीफोन नंबर +91-22-24994360 अथवा +91-9920264780 अथवा +91-22-24994545 पर फोन कर सकते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए मतदान से संबंधित शिकायतों का समाधान भी करेंगे।

यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने और इस सूचना में दिए गए संकल्प के ई-मतदान हेतु ई-मेल के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरियों के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत न कराने वाले शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया:

1. शेयर कागज़ रूप में होने पर कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।
2. शेयर कागजरहित रूप में होने पर कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंक वाला लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।
3. वैकल्पिक रूप से सदस्य बिंदु (1) अथवा (2), जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराकर यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं।

आमसभा **के दिन ई-मतदान करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं-**

1.आमसभा के दिन ई-मतदान करने की कार्यविधि ऊपर दूर से ई-मतदान करने के लिए उल्लिखित अनुदेशों के समान ही है।

2. वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए आमसभा में उपस्थित होने वाले सदस्य/शेयरधारक एवं जिन्होंने दूर से ई-मतदान के जरिए संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा विवर्जित

न किया गया हो, आमसभा सभा में ई-मतदान के जरिए मतदान करने के पात्र होंगे। सदस्य भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 के अनुसार मतदान करने के पात्र होंगे।

3. दूर से ई-मतदान करने वाले सदस्य आमसभा में हिस्सा लेने के पात्र होंगे। परंतु वे आमसभा के दिन मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

4. आमसभा के दिन ई-मतदान करने की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का पता आदि वही होगा, जो दूर से ई-मतदान के लिए दिया गया है।

5. बैंक को प्रत्यक्ष रूप से आमसभा आयोजित करने की अनुमति मिल जाने पर उन सदस्यों को टैबलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाएगी, जिन्होंने इससे पहले दूर से ई-मतदान नहीं किया है।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आमसभा में हिस्सा लेने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश नीचे दिए गए हैं:

1. एनएसडीएल ई-मतदान व्यवस्था के जरिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आमसभा में हिस्सा लेने की सुविधा सदस्य को दी जाएगी। दूर से मतदान के विवरण दर्ज कर शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत https://www.evoting.nsdl.com पर भी सदस्य यह सुविधा पा सकते हैं। शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम का लिंक उपलब्ध है, जहां बैंक के ईवीईएन की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लें कि वे सदस्य जिनके पास ई-मतदान का आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, सूचना में दूर से ई-मतदान करने के अनुदेशों का पालन कर अपने आईडी और पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, जिससे ऐन समय पर भागदौड़ न करनी पड़े। इसके अलावा सदस्य एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर लॉगइन के लिए ओटीपी आधारित लॉगइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए सभा से जुड़ने की सलाह दी जाती है।

3. सभा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का इस्तेमाल करना होगा।

4. कृपया नोट कर लें कि मोबाइल डिवाइस अथवा टैबलेट अथवा लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पाट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क के बार बार बंद होते रहने पर आडियो/वीडियो सुविधा भी रुक सकती है। इसलिए उपर्युक्त किसी प्रकार की अड़चन की संभावना को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई अथवा लाइन कनेक्शन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है।

5. आमसभा के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के लिए इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में पंजीकारण करवा सकते हैं। वे 14 जुलाई 2020 को अपराहन 3.00 बजे आमसभा शुरू होने से पहले अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलयो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध investor.complaints@sbi.co.in को भेज सकते हैं।

6. वक्ता के रूप में पंजीकृत कराने वाले शेयरधारकों को ही अपने विचार बताने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। इनका उपयुक्त उत्तर बैंक द्वारा दिया जाएगा।

मतदान अधिकारों का निर्धारण :- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन आमसभा की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए इस सभा में एक वोट देने का अधिकार होगा। प्रत्येक शेयरधारक (केंद्र सरकार से भिन्न) जो उपर्युक्त अनुसार मतदान करने के पात्र हैं, को ऐसी सभा की तारीख से पहले तीन महीने की अवधि अर्थात 13.04.2020 तक धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक वोट देने का अधिकार होगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) आमसभा में मतदान के तुरंत बाद, सर्वप्रथम आमसभा के दौरान डाले गए मतों की गिनती करेगा, उसके बाद ई-मतदान से डाले गए मतों को अनब्लॉक करेगा। आमसभा की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए कुल वोटों पर संवीक्षक (Scrutinizer) की समेकित रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी, जो इस पर प्रति हस्ताक्षर (काउंटर साइन) करेगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही बैंक परिणाम को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भेज दिया जाएगा।

रजनीश कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./54/2020-21]

STATE BANK OF INDIA

(Constituted under the State Bank of India Act,1955)

NOTICE

Mumbai, the 10th June, 2020

F. No. CC/S&B/SA/79—NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of India will be held on Tuesday, the 14th July, 2020 at 3.00 p.m. at the State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021 (Maharashtra). If the conditions are not conducive and the local authorities do not permit to hold physical General Meeting, the Meeting will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification(s), the following resolutions(s) as a **special resolution**:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the State Bank of India Act, 1955 (hereinafter referred to as the '**Act**') read with the State Bank of India General Regulations, 1955 and subject to the approval(s), consent(s) and sanction(s), if any, of Reserve Bank of India ('**RBI**'), Government of India ('**GoI**'), Securities and Exchange Board of India ('**SEBI**'), and / or any other concerned and appropriate authority(ies), whether in India or abroad, as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them, if any, in granting such approval(s), consent(s) and sanction(s) and which may be agreed to by the Central Board of Directors (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include the Executive Committee of the Central Board constituted under Section 30 of the Act read with Regulation 46 of the State Bank of India General Regulations, 1955), and any other Committee of Directors constituted under section 30 of the Act duly authorized by the Central Board to exercise its powers (including the powers conferred by this resolution) of the Bank and subject to regulations viz. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("**ICDR Regulations**") as amended up to date, subject to applicable Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications issued by SEBI, RBI and/or and all other relevant authorities, whether in India or abroad, from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("**Listing Regulations**") and Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares/GDRs of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board :-

a. to create, offer, issue and allot, such number of Equity Shares of Re.1 each, for an amount not exceeding Rs.20,000 crores (Rupees Twenty Thousand crores) (including premium, if any) or such amount as approved by GoI & RBI subject to the condition that the Government of India shareholding in equity share capital of the Bank does not fall below 52% at any point of time, by way of public issue (i.e. Follow-on-Public Offer) or Private Placement, including Qualified Institutional Placement (QIP) /Global Depository Receipt (GDRs) / American Depository Receipt (ADRs) and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board.

b. to decide the quantum & mode(s), number of tranches, price or prices, discount/premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and / or any other persons as decided by the Board and as provided under ICDR Regulations and the timing of such issue(s), at its discretion subject to Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 and the Depository Receipts Scheme, 2014 and all other applicable Rules and Regulations and subject to GoI & RBI approval under Section 5(2) of the State Bank of India Act, 1955.

"RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of QIP/FPO/Right issue/ any other mode, as approved by GoI and RBI shall be in dematerialized form and the equity shares/GDR/ADR so issued and allotted to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors shall be subject to the Guidelines/Rules & Regulations issued by RBI."

"RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of QIP/FPO/GDR/ADR and /or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI and RBI shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory provisions/guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, the allotment of equity shares shall only be made to Qualified Institutional Buyers (QIBs) on a discount not exceeding 5%, if any on the price determined in accordance with the pricing formula under ICDR Regulations or such discount as may be specified by SEBI and the allotment of such shares shall be completed within a period of twelve months from the date of passing of the resolution and the relevant date shall be in accordance with the provisions of ICDR Regulations as amended from time to time.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or may be imposed by the GoI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges and/or any other authority, whether in India or abroad, where the equity shares/GDR/ADR of the Bank are listed or may be listed, or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approval(s), consent(s), permission(s) and sanction(s) for the issue(s), allotment(s), listing(s) and trading(s) thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board be and is hereby authorized to take all such actions and do all such acts, deeds, and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable including but not limited to decide on price or prices, discount / premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and / or any other persons as decided by the Board and as provided under SEBI regulations of issue(s) and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue(s) of the equity shares/GDR/ADR and finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any other consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

EXPLANATORY STATEMENT

Public Issue [i.e. Follow-on-Public Offer (FPO)] or Private Placement including QIP, GDR/ADR, and /or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI and RBI

The Guidelines on implementation of Basel III capital requirements in India have become effective from 1st April, 2013 in a phased manner. The Guidelines will be fully phased in as on 30th September, 2020, deferred twice by RBI from March 19 to March 20 & March 20 to September 20.The Bank's overall Capital Adequacy Ratio (CAR), as on 31st March,2020, stands at 13.06%, with CET-I Capital at 9.77%. The Central Board of the Bank has decided that the Bank should maintain minimum Capital Adequacy Ratios in line with the RBI Basel III transitional arrangements. However, based on the assumptions of growth in Risk Weighted Assets (RWA) and plough back of profits, the Bank may require to raise additional Capital during FY 2020-21. In an environment of heightened uncertainty caused by COVID-19, the RBI is of the view that the Banks must conserve capital to retain their capacity to support the economy and to absorb losses.

Further, the Bank requires adequate Capital to match the anticipated growth in assets and comply with stipulated level of capital adequacy, especially on account of requirement of the Capital Conservation Buffer (CCB) i.e. Additional 0.625% by Sep 20, twice deferred by RBI from March 19 to March 20 & March 20 to September 20 (over and above the existing 1.875% as on 31.3.2020), Domestic Systemically Important Bank (D-SIB) i.e. 0.60% w.e.f. 1.4.2019 & Counter Cyclical Capital Buffer (CCCB) in the range of 0%- 2.50% depending on RBI announcement which may come with a lead time of 4 quarters. Accordingly, considering the business growth during the current year as well as that for the years to come, there is a need for higher capital, particularly, Tier-I capital targeting the end state Capital ratios, at the initial stage, will ensure smooth transition to FY21 Capital requirements.

In line with the Government of India Reform Agenda for Responsive and Responsible PSBs, the Bank had undertaken reform agenda to optimally raise equity capital during the FY 2019 and 2020 amounting to Rs.20,000 crore by issuance of common equity to investors other than GoI. However, the market conditions were not conducive for raising equity capital from market with lower share price to book value. The RBI and GoI approval for raising further equity capital was in place till 31st March, 2020 while the shareholders' approval for raising equity capital expired on 6th December, 2019. Therefore, the Board of Directors has accorded approval for extension of the validity period for raising equity capital upto Rs.20,000 crore from the Market by way of FPO/QIP/Preferential allotment/Right issue/any other mode or a combination of these, till 31st March, 2021.

After evaluating the various available alternatives, as well as taking into consideration the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has planned to access capital market to raise capital, by issuing equity shares of Re.1 each, up to an amount of Rs.20,000 crore (Rupees twenty thousand crore) or such amount as may be approved

by GoI and RBI subject to the condition that the Government of India shareholding in share capital of the Bank does not fall below 52% at any point of time, by way of Qualified Institutions Placement (QIP) /Further Public Offer (FPO) / Private Placement/Global Depository Receipt (GDRs) / American Depository Receipt (ADRs)/ and/ or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board, in one or more tranches, subject to such terms and conditions as may be felt appropriate in the best interest of the Bank. The Bank will seek necessary approval from RBI and GoI for raising capital from the market and the mode thereof and in terms of Regulation 41 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis. The detailed terms and conditions for issue of equity shares by way of FPO / Private placement/QIP/ GDRs /ADRs/ and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI and RBI will be determined by the Board in consultation with various intermediaries and such other concerned and appropriate authorities as may be required by considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

The proceeds of the issue(s) are proposed to be used to meet long term funding requirements of the Bank, Bank's growth capital requirements, to meet the Bank's capital expenditure, making investments/providing loans and advances, enhance its long term resources and thereby strengthening the financial structure of the Bank and its subsidiaries and associates and other general banking purposes as permitted by RBI and other applicable laws.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares/ GDR/ ADR in one or more tranches, at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit. The Board of Directors, subject to compliance of all related statutory, regulatory or any other applicable Guidelines, Notifications and Circulars in connection with the proposed equity raising by way of public issue [(i.e. Further Public offer (FPO)] or QIP or Private Placement, including Global Depository Receipt(GDRs) / American Depository Receipt (ADRs) and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI & RBI, recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.

General instructions for accessing and participating in the General Meeting through VC/OAVM Facility and voting through electronic means including remote e-Voting

1. In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), physical attendance of the Members to the EGM/AGM venue is not required and annual general meeting (AGM) be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). The Board of Directors of the Bank has decided to adopt the above guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI in conducting General Meeting of the Bank. Hence, Members can attend and participate in the ensuing General Meeting through VC/OAVM, which may not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the meeting shall be State Bank Auditorium, Corporate Centre of the Bank.

2. In view of the VC facility being provided to the members of the Bank, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members as provided in Regulation 34 of SBI General Regulations, 1955 is not available for this General Meeting. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives as provided in Regulation 32 and 33 of SBI General Regulations, 1955 to attend the General Meeting through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

3. The Members can join the General Meeting in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the General Meeting through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the General Meeting without restriction on account of first come first served basis.

4. The attendance of the Members attending the General Meeting through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 24 of SBI General Regulations, 1955.

5. Pursuant to the provisions Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the General Meeting. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as venue voting on 14th July, 2020 the date of the General meeting will be provided by NSDL.

6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the General Meeting has been uploaded on the website of the Bank at www.sbi.co.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the General Meeting Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

7. General Meeting has been convened through VC/OAVM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020 and if conditions are conducive and the local authorities permit for conducting the General Meeting, Meeting may be convened in terms of SBI Act and SBI General Regulations, 1955.

8. In terms of Regulation 7 of SBI General Regulations, 1955 in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.

9. Members who opt to be present through VC and who do not cast their vote through remote e-voting will be allowed to vote through e-voting at the General Meeting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period commence on 10th July, 2020 at 10:00 A.M. IST and end on 13th July, 2020 at 5:00 P.M. IST. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

During the above period, Members of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut off date as provided in Regulation 31 of SBI General Regulations, 1955 may cast their vote by remote e-voting.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/
Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

   Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	**Your User ID is:**
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank. For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:
   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
   b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
   c) How to retrieve your 'initial password'?
      (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8-digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
      (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process **for those shareholders whose email ids are not registered.**
6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
   a) Click on "**Forgot User Details/Password**?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
   b) **Physical User Reset Password**?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
   c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.
   d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on "Login" button.
9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 is given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to info@mehta-mehta.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in

the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL at evoting@nsdl.co.in ; or amitv@nsdl.co.in; or pallavid@nsdl.co.in or at telephone Nos. +91-22- 24994360 or +91-9920264780 or +91-22-24994545 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolution set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor.complaints@sbi.co.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investor.complaints@sbi.co.in.
3. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE GENERAL MEETING ARE AS UNDER: -

1. The procedure for e-Voting on the day of the General Meeting is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the General Meeting through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the General Meeting. The Members are entitled to vote in terms of Regulation 31 of the SBI General Regulations, 1955.
3. Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the General Meeting. However, they will not be eligible to vote at the General Meeting.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the General Meeting shall be the same person mentioned for remote e-voting.
5. In case, if Bank gets permission to conduct physical general meeting, voting through tablets will also be made available to members who have not earlier voted through remote e-Voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the General Meeting through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVEN of the Bank will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush. Further members can also use the OTP based login for logging into the e-Voting system of NSDL.
2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker may send their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor.complaints@sbi.co.in in advance before the start of general meeting on 14th July, 2020 at 3.00 p.m.
6. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions. The same will be replied by the Bank suitably.

Determination of voting rights.- Subject to the provisions contained in section 11 of the SBI Act, each shareholder who has been registered as a shareholder for a period of not less than three months prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote for each fifty shares held by him or it. Every shareholder [other than the

Central Government] entitled to vote as aforesaid who, shall have one vote for each fifty shares held by him or it for the whole period of three months prior to the date of such meeting i.e. 13.04.2020.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the General Meeting, first count the votes cast during the General Meeting, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.sbi.co.in and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com immediately. The Bank shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Bank are listed.

RAJNISH KUMAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./54/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

State Bank of India (Constituted under the State Bank of India Act,1955)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Meeting of the Shareholders of State Bank of India will be held on Tuesday, the 14th July, 2020 at 3.00 p.m. at the State Bank Auditorium, State Bank Bhavan Complex, Madame Cama Road, Mumbai – 400021 (Maharashtra). If the conditions are not conducive and the local authorities do not permit to hold physical General Meeting, the Meeting will be held through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the following business:

To consider and if thought fit, pass with or without modification(s), the following resolutions(s) as a **special resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the State Bank of India Act, 1955 (hereinafter referred to as the **'Act'**) read with the State Bank of India General Regulations, 1955 and subject to the approval(s), consent(s) and sanction(s), if any, of Reserve Bank of India ('RBI'), Government of India **('GoI')**, Securities and Exchange Board of India **('SEBI')**, and / or any other concerned and appropriate authority(ies), whether in India or abroad, as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them, if any, in granting such approval(s), consent(s) and sanction(s) and which may be agreed to by the Central Board of Directors (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include the Executive Committee of the Central Board constituted under Section 30 of the Act read with Regulation 46 of the State Bank of India General Regulations, 1955), and any other Committee of Directors constituted under section 30 of the Act duly authorized by the Central Board to exercise its powers (including the powers conferred by this resolution) of the Bank and subject to regulations, viz. SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 **("ICDR Regulations")** as amended up to date, subject to applicable Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications issued by SEBI, RBI and/or and all other relevant authorities, whether in India or abroad, from time to time and subject to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 **("Listing Regulations")** and Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the equity shares/GDRs of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board :-

a. to create, offer, issue and allot, such number of Equity Shares of Re.1 each, for an amount not exceeding Rs.20,000 crores (Rupees Twenty Thousand crores) (including premium, if any) or such amount as approved by GoI & RBI subject to the condition that the Government of India shareholding in equity share capital of the Bank does not fall below 52% at any point of time, by way of public issue (i.e. Follow-on-Public Offer) or Private Placement, including Qualified Institutional Placement (QIP) /Global Depository Receipt (GDRs) / American Depository Receipt (ADRs) and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board.
b. to decide the quantum & mode(s), number of tranches, price or prices, discount/premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and / or any other persons as decided by the Board and as provided under ICDR Regulations and the timing of such issue(s), at its discretion subject to Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 and the Depository Receipts Scheme, 2014 and all other applicable Rules and Regulations and subject to GoI & RBI approval under Section 5(2) of the State Bank of India Act, 1955.

"RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of QIP/FPO/Rights issue/ any other mode, as approved by GoI and RBI shall be in dematerialized form and the equity shares/GDR/ADR so issued and allotted to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investors shall be subject to the Guidelines/Rules & Regulations issued by RBI."

"RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be offered and allotted by way of QIP/FPO/GDR/ADR and /or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI and RBI shall rank pari-passu with the existing equity shares of the Bank in all respects and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory provisions/guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP, the allotment of equity shares shall only be made to Qualified Institutional Buyers (QIBs) on a discount not exceeding 5%, if any on the price determined in accordance with the pricing formula under ICDR Regulations or such discount as may be specified by SEBI and the allotment of such shares shall be completed within a period of twelve months from the date of passing of the resolution and the relevant date shall be in accordance with the provisions of ICDR Regulations as amended from time to time.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or may be imposed by the GoI/RBI/SEBI/ Stock Exchanges and/or any other authority, whether in India or abroad, where the equity shares/GDR/ADR of the Bank are listed or may be listed, or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approval(s), consent(s), permission(s) and sanction(s) for the issue(s), allotment(s), listing(s) and trading(s) thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board be and is hereby authorized to take all such actions and do all such acts, deeds, and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable including but not limited to decide on price or prices, discount / premium, reservations to employees, customers, existing shareholders and / or any other persons as decided by the Board and as provided under SEBI regulations of issue(s) and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue(s) of the equity shares/GDR/ADR and finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any other consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

Corporate Centre,
State Bank Bhavan,
Madame Cama Road,
Mumbai – 400 021
Date: 10.06.2020

(RAJNISH KUMAR)
CHAIRMAN

EXPLANATORY STATEMENT

Public Issue [i.e. Follow-on-Public Offer (FPO)] or Private Placement including QIP, GDR/ADR, and /or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI and RBI

The Guidelines on implementation of Basel III capital requirements in India have become effective from 1st April, 2013 in a phased manner. The Guidelines will be fully phased in as on 30th September, 2020, deferred twice by RBI from March 19 to March 20 & March 20 to September 20. The Bank's overall Capital Adequacy Ratio (CAR), as on 31st March,2020, stands at 13.06%, with CET-I Capital at 9.77%. The Central Board of the Bank has decided that the Bank should maintain minimum Capital Adequacy Ratios in line with the RBI Basel III transitional arrangements. However, based on the assumptions of growth in Risk Weighted Assets (RWA) and plough-back of profits, the Bank may require to raise additional Capital during FY 2020-21. In an environment of heightened uncertainty caused by COVID-19, the RBI is of the view that the Banks must conserve capital to retain their capacity to support the economy and to absorb losses.

Further, the Bank requires adequate Capital to match the anticipated growth in assets and comply with stipulated level of capital adequacy, especially on account of requirement of the Capital Conservation Buffer (CCB) i.e. Additional 0.625% by Sep 20, twice deferred by RBI from March 19 to March 20 & March 20 to September 20 (over and above the existing 1.875% as on 31.3.2020), Domestic Systemically Important Bank (D-SIB,) i.e. 0.60% w.e.f. 1.4.2019 & Counter Cyclical Capital Buffer (CCCB) in the range of 0%- 2.50% depending on RBI announcement which may come with a lead time of 4 quarters. Accordingly, considering the business growth during the current year as well as that for the years to come, there is a need for higher capital, particularly, Tier-I capital targeting the end state Capital ratios, at the initial stage, will ensure smooth transition to FY21 Capital requirements.

In line with the Government of India Reform Agenda for Responsive and Responsible PSBs, the Bank had undertaken reform agenda to optimally raise equity capital during the FY 2019 and 2020 amounting to Rs.20,000 crore by issuance of common equity to investors other than GoI. However, the market conditions were not conducive for raising equity capital from market with lower share price to book value. The RBI and GoI approval for raising further equity capital was in place till 31st March, 2020 while the shareholders' approval for raising equity capital expired on 6th December, 2019. Therefore, the Board of Directors has accorded approval for extension of the validity period for raising equity capital up to Rs.20,000 crore from the Market by way of FPO/QIP/Preferential allotment/Rights issue/any other mode or a combination of these, till 31st March, 2021.

After evaluating the various available alternatives, as well as taking into consideration the guidelines issued by Reserve Bank of India, the Bank has planned to access capital market to raise capital, by issuing equity shares of Re.1 each, up to an amount of Rs.20,000 crore (Rupees twenty thousand crore) or such amount as may be approved by GoI and RBI subject to the condition that the Government of India shareholding in share capital of the Bank does not fall below 52% at any point of time, by way of Qualified Institutions Placement (QIP) /Further Public Offer (FPO) / Private Placement/Global Depository Receipt (GDRs) / American Depository Receipt (ADRs)/ and/ or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as may be decided by the Board, in one or more tranches, subject to such terms and conditions as may be felt appropriate in the best interest of the Bank. The Bank will seek necessary approval from RBI and GoI for raising capital from the market and the mode thereof and in terms of Regulation 41 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis. The detailed terms and conditions for issue of equity shares by way of FPO / Private placement/QIP/ GDRs /ADRs/ and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI and RBI will be determined by the Board in consultation with various intermediaries and such other concerned and appropriate authorities as may be required by considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

The proceeds of the issue(s) are proposed to be used to meet long-term funding requirements of the Bank, Bank's growth capital requirements, to meet the Bank's capital expenditure, making investments/providing loans and advances, enhance its long-term resources and thereby strengthening the financial structure of the Bank and its subsidiaries and associates and other general banking purposes as permitted by RBI and other applicable laws.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares/ GDR/ ADR in one or more tranches, at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit. The Board of Directors, subject to compliance of all related statutory, regulatory or any other applicable Guidelines, Notifications and Circulars in connection with the proposed equity raising by way of public issue [(i.e. Further Public offer (FPO)] or QIP or Private Placement, including Global Depository Receipt(GDRs) / American Depository Receipt (ADRs) and/or any other mode(s) or a combination(s) thereof, as approved by GoI & RBI, recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.

General instructions for accessing and participating in the General Meeting through VC/OAVM Facility and voting through electronic means including remote e-Voting

1. In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs followed by Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular"), physical attendance of the Members to the EGM/AGM venue is not required and annual general meeting (AGM) be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). The Board of Directors of the Bank has decided to adopt the above guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI in conducting General Meeting of the Bank. Hence, Members can attend and participate in the ensuing General Meeting through VC/OAVM, which may not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the meeting shall be State Bank Auditorium, Corporate Centre of the Bank.
2. In view of the VC facility being provided to the members of the Bank, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members as provided in Regulation 34 of SBI General Regulations, 1955 is not available for this General Meeting. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives as provided in Regulation 32 and 33 of SBI General Regulations, 1955 to attend the General Meeting through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.
3. The Members can join the General Meeting in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the General Meeting through VC/OAVM will be made available for at least 1000 members on first-come first-served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc. who are allowed to attend the General Meeting without restriction on account of first-come first-served basis.
4. The attendance of the Members attending the General Meeting through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 24 of SBI General Regulations, 1955.
5. Pursuant to the provisions Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended) read with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014, (as amended), and the MCA Circulars the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the General Meeting. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as venue voting on 14th July, 2020 the date of the General meeting will be provided by NSDL.
6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the General Meeting has been uploaded on the website of the Bank at www.sbi.co.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the General Meeting Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility), i.e. www.evoting.nsdl.com.
7. General Meeting has been convened through VC/OAVM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020 and if conditions are conducive and the local authorities permit for conducting the General Meeting, Meeting may be convened in terms of SBI Act and SBI General Regulations, 1955.
8. In terms of Regulation 7 of SBI General Regulations, 1955 in case of joint holders, the Member whose name appears first as per the Register of Members of the Company will be entitled to vote at the General Meeting provided the votes are not already cast through remote e-voting.
9. Members who opt to be present through VC and who do not cast their vote through remote e-voting will be allowed to vote through e-voting at the General Meeting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period commences on 10th July, 2020 at 10:00 A.M. IST and ends on 13th July, 2020 at 5:00 P.M. IST. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

During the above period, Members of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the cut-off date as provided in Regulation 31 of SBI General Regulations, 1955 may cast their vote by remote e-voting.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log in to NSDL e-Voting website?

1 Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2 Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Log in" which is available under 'Shareholders' section.
3 A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.
Alternatively, if you are registered for NSDL eservices, i.e. IDEAS, you can log in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS log in. Once you log in to NSDL eservices after using your log in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2, i.e. Cast your vote electronically.
4 Your User ID details are given below :

Manner of holding shares, i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12**********
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank. For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5 Your password details are given below:
a If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
b If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
c How to retrieve your 'initial password'?
(i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment, i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8-digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
(ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.
6 If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
a) Click on "Forgot User Details/Password?"(If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
b) Physical User Reset Password?" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.
d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7 After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
8 Now, you will have to click on "Login" button.
9 After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Details on Step 2 are given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of Bank for which you wish to cast your vote.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options, i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to info@mehta-mehta.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
2 It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3 In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 or send a request to Mr. Amit Vishal, Senior Manager or Ms. Pallavi Mhatre, Manager NSDL at evoting@nsdl.co.in ; or amitv@nsdl.co.in; or pallavid@nsdl.co.in or at telephone Nos. +91-22- 24994360 or + 91-9920264780 or +91-22-24994545 who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolution set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor.complaints@sbi.co.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to investor.complaints@sbi.co.in.
3. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE GENERAL MEETING ARE AS UNDER: -

1. The procedure for e-Voting on the day of the General Meeting is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the General Meeting through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the General Meeting. The Members are entitled to vote in terms of Regulation 31 of the SBI General Regulations, 1955.
3. Members who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the General Meeting. However, they will not be eligible to vote at the General Meeting.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the General Meeting shall be the same person mentioned for remote e-voting.
5. In case, if Bank gets permission to conduct physical general meeting, voting through tablets will also be made available to members who have not earlier voted through remote e-Voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the General Meeting through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVEN of the Bank will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush. Further members can also use the OTP based login for logging into the e-Voting system of NSDL.
2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Members will be required to use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that participants connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker may send their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor.complaints@sbi.co.in in advance before the start of General Meeting on 14th July, 2020 at 3.00 p.m.
6. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions. The same will be replied by the Bank suitably.

Determination of voting rights.- Subject to the provisions contained in section 11 of the SBI Act, each shareholder who has been registered as a shareholder for a period of not less than three months prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote for each fifty shares held by him or it. Every shareholder [other than the Central Government] entitled to vote as aforesaid who, shall have one vote for each fifty shares held by him or it for the whole period of three months prior to the date of such meeting, i.e. 13.04.2020.

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the General Meeting, first count the votes cast during the General Meeting thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the General Meeting, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.

The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website **www.sbi.co.in** and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com immediately. The Bank shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Bank are listed.

Corporate Centre,
State Bank Bhavan,
Madame Cama Road,
Mumbai – 400 021
Date: 10.06.2020

(RAJNISH KUMAR)
CHAIRMAN

SBI

भारतीय स्टेट बैंक (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कार्य करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की आमसभा दिनांक 14 जुलाई 2020, मंगलवार को 03.00 बजे अपराह्न स्टेट बैंक ऑडिटोरियम, स्टेट बैंक भवन कॉम्प्लेक्स, मादाम कामा रोड, मुंबई-400021 (महाराष्ट्र) में आयोजित की जाएगी। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं और स्थानीय प्राधिकारियों ने प्रत्यक्ष सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दी तो तो बैठक आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम (ओएवीएम) सुविधा से आयोजित की जाएगी:

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करने और विचार करने पर यदि ठीक पाया गया, तो उन्हें संशोधन के साथ या संशोधन के बिना **एक विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

संकल्प किया जाता है कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (यहां इसके बाद इसे **'अधिनियम'** कहा गया है) के साथ पठित भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियमन, 1955 के प्रावधानों के अनुसरण में और भारतीय रिज़र्व बैंक (**आरबीआई**), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (**सेबी**) तथा/अथवा कोई अन्य प्राधिकरण, चाहे भारत में या विदेश में हो, के अनुमोदन, सहमति और संस्वीकृति, यदि कोई हो (हों), के तहत और उससे संबंधित ऐसे निबंधनों, शर्तों और संशोधनों के तहत जो उनके अनुसार ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए दिए जाएंगे और जिनके लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक बोर्ड (यहाँ इसके पश्चात**'बोर्ड'** कहा गया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक साधारण विनियम, 1955 के विनियम 46 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति)और केंद्रीय बोर्ड द्वारा अपने अधिकारों (इस संकल्प द्वारा दिए गए अधिकारों) का प्रयोग करने के लिए विधिवत प्राधिकृत निदेशकों की कोई अन्य समिति सहमत होगी और सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण शर्तें जारी करना विनियम, 2018) (**आईसीडीआर विनियम**) के रूप में तारीख तक संशोधन लागू करने के लिए विषय नियम, विनियम, दिशानिर्देश, परिपत्रों, द्वारा जारी किए गए सूचनाएं सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक और/या और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों, भारत में या विदेश में, समय-समय पर और विषय के लिए करने के लिए सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 (**लिस्टिंग विनियम**) और लिस्टिंग एग्रीमेंट स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए जहां इक्विटी शेयर/जीडीआर रों बैंक के सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति और बोर्ड द्वारा दी गई है। सेबी, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा/अथवा अन्य दूसरे संबद्ध प्राधिकरण चाहे भारत या विदेश में हो, द्वारा समय-समय पर जारी प्रयोज्य नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं के तहत तथा उन शेयर बाजारों, जहां बैंक के इक्विटी शेयर/जीडीआर सूचीबद्ध किए गए हैं, के साथ किए गए सूचीबद्ध करारों के तहत बोर्ड को बैंक के शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वारा सहमति प्रदान की जाती है:–

क. प्रति शेयर रु.1 के इक्विटी शेयरों को ऐसी संख्या में सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित और आबंटित करने, जिनकी राशि रु.20,000 करोड़ (बीस हज़ार करोड़ रुपए) या ऐसी राशि से अधिक नहीं होगी जैसी भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जाएगी, और साथ में यह शर्त रहेगी कि इक्विटी पूंजी में किसी भी समय भारत सरकार की इक्विटी शेयर पूंजी 52% से कम नहीं हो, और ये शेयर पब्लिक इश्यू (अर्थात इसके बाद पब्लिक में की जाने वाली पेशकश) या राइट्स इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट जिसमें पात्र संस्थाओं में निवेश (क्यूआईपी)/ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर)/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) तथा/अथवा अन्य दूसरे रूप में या उनकेकिसी मिलेजुले रूप में होंगे, जैसे बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा

ख. इस इश्यू (इन इश्यूज़) की मात्रा और रूप, श्रृंखलाओं की संख्या, कीमत या कीमतें, छूट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारक और/या किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित शेयर और समय अपने विवेकानुसार निर्धारित करना, पर यह निर्धारण लागू नियमों और विनियमों, आईसीडीआर विनियमों तथा विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन (नॉन-डेब्ट इंस्ट्रुमेंट) नियम, 2019 डिपॉजिटरी रसीद योजना 2014 तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 5(2) के अंतर्गत भारत सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के तहत होगा।

यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थाओं में निवेश (क्यूआईपी)/अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ)/अन्य कोई रूप में, जैसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, प्रस्तावित और आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर कागज रूप में नहीं होंगे, सिवाय राइट्स इश्यू के जहाँ शेयरों को कागजी और गैर-कागजी रूप में जारी किया जाएगा, और इस प्रकार एनआरआई, एफआईआई तथा/अथवा अन्य पात्र विदेशी संस्थागत निवेशकों को आबंटित किए गए इक्विटी शेयर/जीडीआर/एडीआर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नियमों एवं विनियमों के तहत रहेंगे।

यह भी संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत निवेश (क्यू.आई.पी)/अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश (एफपीओ)/राइट इश्यू/जीडीआर/एडीआर तथा अथवा अन्य किसी रूप में या उनके किसी मिलेजुले रूप में, जैसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, प्रस्तावित तथा आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयर सभी तरह से बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयरों की तरह निवेश किया जाएगा और घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि कोई लाभांश घोषित किया जाएगा, तो यह इन पर भी लाभांश मिलेगा।

यह भी संकल्प किया जाता है कि क्यूआईपी के मामले में, इक्विटी शेयरों का आबंटन 5% तक की छूट (डिस्काउंट) पर यदि कोई हो या ऐसी कोई छूट जिसे सेबी द्वारा निर्धारित किया जाएगा, केवल पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यूआईपी) को ही किया जाएगा और ऐसे शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तिथि से बारह महीने की अवधि के अंदर पूर्ण किया जाएगा तथा संबंधित तिथि समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के प्रावधानों के अनुसार रहेगी।

यह भी संकल्प किया जाता है कि शेयरों के निर्गम, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने के लिए उनके अनुमोदन, सहमति, अनुमति और संस्वीकृतियाँ प्रदान करने/संस्वीकृत करने के समय इस प्रस्ताव में इस प्रकार के किसी ऐसे संशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं अधिकार बोर्ड के पास रहेगा जो भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/शेयर बाजार तथा/अथवा अन्य दूसरे प्राधिकरण चाहे भारत या विदेश में हो, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर/जीडीआर/एडीआर सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध किए जा सकते हैं या अन्य उपयुक्त प्राधिकरण के लिए आवश्यक होंगे या उनके द्वारा लागू किए जाएंगे और जिनके लिए बोर्ड सहमत होगा।

यह भी संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को लागू करने के लिए; बोर्ड को ऐसी सभी कार्रवाइयाँ करने और ऐसे सभी कार्य करने, ऐसे सभी विलेख निष्पादित करने, ऐसे सभी कृत्यों को करने; जो उसके पूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे जाएंगे; तथा ऐसे किसी मामले जो कि केवल सीमित नहीं है पर केवल ये ही सम्मिलित नहीं हैं यथा मात्रा और रूप, श्रृंखलाओं की संख्या, कीमत या कीमतें, छूट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारक और/या किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित शेयर कठिनाई या संदेह का निवारण करने जो इक्विटी शेयरों/जीडीआर/एडीआर के निर्गम के संबंध में उठ सकते हैं, और ऐसे सभी दस्तावेजों और लिखावटों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने जो ठीक, उपयुक्त और वांछनीय होंगे जिनके लिए उसके पूर्ण विवेकाधिकार से शेयरधारकों की अन्य किसी सहमति या अनुमोदन आवश्यकता नहीं होगी; प्राधिकृत किया जाता है या इस उद्देश्य और इस अभिप्राय से प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन स्पष्ट रूप से दिया गया समझा जाए।

कारपोरेट केंद्र
स्टेट बैंक भवन
मादाम कामा रोड
मुंबई-400 021
दिनांक: 10.06.2020

(रजनीश कुमार)
अध्यक्ष

व्याख्यात्मक विवरण

पब्लिक इश्यू (अर्थात अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) या प्राइवेट प्लेसमेंट जिनमें पात्र संस्थाओं में निवेश (क्यूआईपी)/जीडीआर/एडीआर, और/अथवा अन्य किसी रूप में या उनके मिले जिले रूप में जैसे भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है

भारत में बेसल खखख पूंजी विनियम को चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित करने के दिशा-निर्देश 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी है। दिशानिर्देशों को 30 सितंबर 2020 से पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा जिसे आरबीआई के द्वारा मार्च 2019 से मार्च 2020 तक फिर सितंबर 2020 तक दो बार स्थगित किया गया था। बैंक का कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 31 मार्च 2020 को 13.06% सीईटी-1 पूंजी 9.77% के साथ था। बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक बासेल 3 के दिशानिर्देशों के अनुरूप न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखा जाए। तथापि, लाभ के पुनर्निवेश और आरडब्ल्यूए में संवृद्धि के अनुमानों के आधार पर यह अपेक्षा की जाती है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी। COVID-19 के कारण बढ़ी अनिश्चितता के माहौल में, आरबीआई का विचार है कि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और घाटे को अवशोषित करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए बैंकों को पूंजी का संरक्षण करना चाहिए।

इसके साथ, आस्तियों में अपेक्षित वृद्धि और पूंजी पर्याप्तता अनुपात के निर्धारित स्तर को बनाए रखने के लिए बैंक को पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता है। विशेष रूप से, पूंजी संरक्षण प्रतिरोधक (सीसीबी), अर्थात् सितंबर 2020 तक अतिरिक्त 0.625%। आरबीआई के द्वारा मार्च 2019 से मार्च 2020 तक फिर सितंबर 2020 तक दो बार स्थगित (31.03.2020 के स्तर से ऊपर 1.875 प्रतिशत) प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशीय बैंकों (डी-एसआईबी) अर्थात् 0.60 प्रतिशत 01.04.2019 से और प्रति चक्रीय पूंजी प्रतिरोधक स्तर 0%-2.50% जो भारतीय रिज़र्व बैंक के चार तिमाहियों के दिशानिर्देशों पर निर्भर करता है। तदनुसार, चालू वर्ष और आने वाले वर्षों के दौरान व्यवसाय में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अधिक पूंजी, विशेषकर टियर-1 पूंजी की अधिक आवश्यकता है। प्रारंभिक स्तर पर, अंतिम स्थिति वाले पूंजी अनुपात से, वित्त वर्ष 21 की पूंजी आवश्यकताओं के लिए आसान पारगमन सुनिश्चित हो सकेगा।

भारत सरकार सुधार एजेंडा के अनुरूप उत्तरदायी और जिम्मेदार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए, बैंक ने भारत सरकार के अलावा अन्य निवेशकों को साझा इक्विटी जारी करके वित्त वर्ष 2019 और 2020 के दौरान इक्विटी पूंजी को 20,000 करोड़ रुपये की राशि देने के लिए सुधार एजेंडा शुरू किया था। हालांकि, बाजार की स्थिति बाजार से इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए अनुकूल नहीं थी, जिसमें शेयर मूल्य कम मूल्य से बुक वैल्यू तक थी। आगे इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए आरबीआई और भारत सरकार की मंजूरी 31 मार्च, 2020 तक लागू थी जबकि इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए शेयरधारकों की मंजूरी 6 दिसंबर, 2019 को समाप्त हो गई थी। इसलिए, निदेशक मंडल ने एफपीओ/क्यूआईपी/तरजीही आवंटन/राइट इश्यू/किसी अन्य मोड या इनके संयोजन के माध्यम से बाजार से 20,000 करोड़ रुपये तक इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए वैधता अवधि को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है।

विभिन्न उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने और साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखने के बाद, बैंक ने पूंजी जुटाने के लिए बाजार में जाने की योजना बनाई है जिसके लिए वह रु.20,000 करोड़ (बीस हज़ार करोड़ रुपए) तक या ऐसी राशि जो भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित की जा सकती है, के लिए प्रति शेयर रु.1 के इक्विटी शेयर जारी करेगा परंतु इस शर्त के साथ कि इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की शेयरधारिता किसी भी समय 52% से कम नहीं होगी और बाजार से पात्र संस्थान स्थानापन्न (क्यूआईपी)/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/राइट इश्यू/वैश्विक डिपॉजिटरीरसीद/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद तथा/अथवा अन्य किसी रूप में या उनके संयोजन में जिसे बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, एक या एक से अधिक श्रृंखला में जारी करेगा और साथ में ऐसी निबंधन एवं शर्तें होंगी जो बैंक के श्रेष्ठ हित के लिए उचित समझी जा सकती है। बैंक बाजार से पूंजी जुटाने और उसके तरीके के लिए आरबीआई और भारत सरकार से आवश्यक मंजूरी मांगेगा और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 41 के संदर्भ में, शेयरधारकों के लिए यह आवश्यक है कि वे आनुपातिक आधार पर उन्हें पेश नहीं किए जाने पर किसी और सुरक्षा के मुद्दे को मंजूरी दें। भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित एफपीओ/निजी प्लेसमेंट/क्यूआईपी/जीडीएस/एडीआरएस/और/या उसके संयोजन (एस) के माध्यम से इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए विस्तृत नियम और शर्तों का निर्धारण बोर्ड द्वारा विभिन्न बिचौलियों के परामर्श से किया जाएगा और ऐसे अन्य संबंधित और उपयुक्त प्राधिकरणों को मौजूदा बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करके किया जाएगा।

इस इश्यू से जुटाई गई राशियों का उपयोग; बैंक की दीर्घावधि निधि की आवश्यकताओं को पूरा करने, बैंक की विकास पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने, बैंक के पूँजीगत व्यय को पूरा करने, निवेश/ऋण और अग्रिम प्रदान करने, अपने दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने और इस प्रकार बैंक और उसकी सहायक कंपनियों और सहयोगियों और अन्य सामान्य बैंकिंग प्रयोजनों के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा और अन्य लागू कानूनों के अनुसार अनुमत है; के लिए किया जाना प्रस्तावित है।

विशेष संकल्प में बोर्ड को इक्विटी शेयर/जीडीआर/एडीआर को एक या अधिक किस्तों में, ऐसे समय या समय पर, ऐसी कीमत या कीमतों पर और ऐसे निवेशकों को जारी करने की शक्तियां प्रदान करना है जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित समझे। निदेशक बोर्ड, सभी संबंधित सांविधिक नियमों के अनुपालन के अधीन, सार्वजनिक मुद्दे के माध्यम से प्रस्तावित इक्विटी जुटाने के संबंध में नियामक या किसी अन्य लागू दिशानिर्देश, सूचनाएं और परिपत्र, (यानी आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) या क्यूआईपी या निजी प्लेसमेंट, जिसमें ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीएस)/अमेरिकन डिपॉजिटरी रसीद (एडीआरएस) और/या किसी अन्य मोड (एस) या उसके संयोजन (एस) को, भारत सरकार और आरबीआई द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार, आपके अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए आम सभा में हिस्सा लेने और दूर से ई-मतदान सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए मतदान करने के लिए अनुदेश

1. कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 8 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक 20/2020 (एमसीए परिपत्र) और उसके बाद भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र क्रमांक सेबी/एचओ/सीएफडी1/सीआईआर/पी/2020/79 के अनुसार ईजीएम/एजीएम स्थल पर सदस्यों का प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है और वार्षिक महासभा (एजीएम) वीडियो कान्फरेंसिंग अथवा अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आयोजित की जानी चाहिए। बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का अनुसरण करने का निर्णय लिया गया है। अतः सदस्य आगामी आम सभा में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम पर उपस्थित होकर हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए सदस्यों का एक ही जगह पर प्रत्यक्ष उपस्थित होना जरूरी नहीं है। सभा का अनुमत स्थान बैंक के कॉरपोरेट केंद्र का स्टेट बैंक सभागार होगा।
2. बैंक के सदस्यों को वीडियो कान्फरेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के कारण भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 34 में निर्धारित किए गए अनुसार प्रॉक्सी की नियुक्ति करने और सदस्यों की ओर से मतदान करने की सुविधा इस आम सभा के लिए उपलब्ध नहीं है। तथापि भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 32 एवं 33 में निर्धारित किए गए अनुसार वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम के जरिए आम सभा में उपस्थित होने और ई-मतदान के जरिए अपना मत देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने हेतु निकाय कॉरपोरेट पात्र होंगे।
3. इस सूचना में उल्लिखित कार्यविधि का पालन करते हुए सदस्य आम सभा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से सभा में भाग ले सकते हैं। पहले आए, पहले पाए आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आम सभा में हिस्सा लेने की सुविधा दी जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% अथवा उससे अधिक की शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखापरीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आए, पहले पाए की शर्त के बिना आम सभा में हिसा लेने की अनुमति है।
4. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 24 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के प्रयोजन से वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आम सभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मान्य होगी।
5. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) के विनियम 44 (यथा संशोधित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैंक आम सभा की कार्यवाही में अपने सदस्यों को दूर से ई-मतदान की सुविधा दे रहा है। इसके लिए बैंक ने नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ प्राधिकृत एजेंसी के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा मुहैया कराने के लिए करार किया है। आम सभा की तारीख अर्थात 14 जुलाई 2020 को सदस्यों के लिए दूरस्थ ई-मतदान व्यवस्था के इस्तेमाल और सभा स्थल पर मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
6. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र क्रमांक 17/2020 के अनुरूप आम सभा आयोजित करने की सूचना बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अपलोड की गई है। इस सूचना को स्टॉक एक्सचेंज यथा बीएसई लिमिटेड एवं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर देखा जा सकता है और आम सभा संबंधी सूचना एनएसडीएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
7. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्रों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करते हुए आम सभा का आयोजन वीसी/अन्य विजुअल माध्यम के जरिए किया जा रहा है। स्थितियाँ अनुकूल होने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आम सभा के आयोजन के लिए अनुमति दिए जाने पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम एवं भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के अनुसार सभा आयोजित की जाएगी।
8. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 7 के अनुसार संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार सबसे पहले हो, आम सभा में मतदान करने का पात्र होगा, बशर्ते कि मत दूर से ई-मतदान के जरिए न डाला जा चुका हो।
9. वे सदस्य जो वीसी के जरिए उपस्थित होना चाहते हैं और जो दूर से ई-मतदान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें आम सभा में ई-मतदान के जरिए मत देने की अनुमति दी जाएगी।

सदस्यों के लिए दूर से ई-मतदान करने के अनुदेश नीचे दिए गए हैं:-

दूर से ई-मतदान की अवधि 10 जुलाई, 2020 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10 बजे शुरू होगी और 13 जुलाई, 2020 को शाम 5 बजे समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा दूर से ई-मतदान मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। सदस्य द्वारा एक बार मतदान किए जाने के बाद मत को बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 में निर्धारित तारीख को कागज़ रूप में अथवा कागजरहित रूप में शेयर रखने वाले बैंक के सदस्य दूर से ई-मतदान द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं।

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली के इस्तेमाल से मैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकता/सकती हूँ?

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल करके मतदान करने की प्रक्रिया दो चरण की है, जो नीचे दी गई है:

चरण 1: https://www.evoting.nsdl.com/ पर एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर लॉग-इन करें

चरण 2: एनएसडीएल ई-मतदान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करें

चरण 1 के विवरण नीचे दिए गए हैं:

एनएसडीएल की ई-मतदान प्रणाली पर कैसे लॉग इन करें?

1. एनएसडीएल की ई-मतदान वेबसाइट देखें। पर्सनल कंप्यूटर अथवा मोबाइल पर https://www.evoting.nsdl.com/यूआरएल टाइप कर वेब ब्राउजर खोलें।
2. ई-मतदान व्यवस्था का होम पेज आते ही लॉग-इन आइकॉन पर क्लिक करें, जो शेयरहोल्डर्स भाग में उपलब्ध है।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको स्क्रीन पर दर्शाए गए अनुसार अपना यूजर आईडी, पासवर्ड एवं वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा।
   आपने एनएसडीएल की ई-सेवाओं अर्थात आईडीईएएस के लिए पंजीकरण किया है, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉग-इन से https://eservices.nsdl.com पर लॉग-इन कर सकते हैं। अपने लॉग-इन विवरण से एनएसडीएल की ई-सेवाओं पर लॉग-इन करते ही ई-मतदान पर क्लिक करें और आप चरण-2 के अनुसार अपना इलेक्ट्रॉनिक मतदान कर सकते हैं।
4. आपकी यूजर आईडी के विवरण नीचे दिए गए हैं:

शेयर किस रूप में हैं अर्थात कागज़रहित/डीमैट (एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल) अथवा कागज़ में	आपका यूजर आईडी:
क) वे सदस्य, जिनके शेयर एनएसडीएल में डीमैट खाते में हैं	8 कैरेक्टर डीपी आईडी उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक – आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12****** है, तो आपका यूजर आईडी होगा IN300***12******
ख) वे सदस्य, जिनके शेयर सीडीएसएल में डीममैट खाते में हैं	16 अंकों का लाभार्थी का आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12************** है, तो आपका यूजर आईडी होगा 12**************
ग) कागज़ रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए	सम संख्या उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि आपका फोलियो नंबर 001*** है और सम संख्या 101456 है तो यूजर आईडी होगा 101456001***

5 आपके पासवर्ड के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क) यदि आपने ई-मतदान के लिए पहले से ही पंजीकरण कराया है, तो आप लॉगइन करने के लिए वर्तमान पासवर्ड का इस्तेमाल कर अपना मतदान कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको प्रारंभ में सूचित पासवर्ड को रिट्रीव करना होगा। प्रारंभिक पासवर्ड को रिट्रीव करते ही आपको प्रारंभिक पासवर्ड दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहेगा।

ग) अपने प्रारंभिक पासवर्ड को कैसे रिट्रीव करें?

(i) यदि आपका ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते अथवा बैंक के पास पंजीकृत है, तो प्रारंभिक पासवर्ड की सूचना आपको आपके ई-मेल आईडी पर दी जाएगी। अपने मेल बॉक्स से एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को ढूंढ लें। ई-मेल खोलकर उसकी अटैचमेंट अर्थात पीडीएफ फाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, कागज़ रूप से धारित शेयरों के सीडीएसएल खाते का 8 अंकों का ग्राहक आईडी अथवा फोलियो नंबर ही पीडीएफ फाइल खोलने का पासवर्ड होगा। पीडीएफ फाइल में आपका यूजर आईडी और प्रारंभिक पासवर्ड होगा।

(ii) यदि आपका ई-मेल पंजीकृत नहीं है, तो नीचे ई-मेल पंजीकृत न करने वाले शेयरधारकों के लिए दिए गए चरणों का अनुसरण करें।

6 यदि आप प्रारंभिक पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं अथवा वह आपको नहीं मिला है अथवा आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध Forgot User Details/Password? पर क्लिक करें। (यदि एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के डीमैट में आपके शेयर हैं)

ख) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध Physical User Reset Password? पर क्लिक करें। (यदि आपके शेयर कागज़ रूप में हैं)

ग) उपर्युक्त दोनों विकल्पों के द्वारा पासवर्ड पाने में असमर्थ होने पर आप evotingnsdl.co.in पर अपना अनुरोध अपने डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, पैन नंबर, नाम एवं पंजीकृत पते का विवरण देते हुए भेज सकते हैं।

घ) एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था से मतदान करने के लिए सदस्य ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगइन का उपयोग कर सकते हैं।

7 अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद 'टर्म्स एंड कंडीशंस का चयन करें और उनसे सहमत होने पर चैक बॉक्स में टिक का निशान लगाएँ।

8 अब आपको लॉगइन बटन पर क्लिक करना होगा।

9 लॉगइन बटन पर क्लिक करने के बाद ई-मतदान का होम पेज खुलेगा

चरण 2 की जानकारी नीचे दी गई है:

एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर कैसे अपना मत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर दें?

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगइन करने के बाद आप ई-मतदान का होम पेज देख पाएंगे। ई-मतदान पर क्लिक करें। उसके बाद एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करें।
2. एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करने के बाद आप उन सभी ईवीईएन कंपनियों को देख पाएंगे, जिनके शेयर आपके पास हैं और जिनकी वोटिंग साइकल एक्टिव स्टेटस में है।
3. बैंक के ईवीईएन का चयन करें, जिसे आप अपना मत देना चाहते हैं।
4. वोटिंग पेज खुल जाने पर आप ई-मतदान के लिए तैयार हैं।
5. उपयुक्त विकल्प अर्थात एसेंट अथवा डिसेन्ट, का चयन कर, उन शेयरों की संख्या की जांच/संशोधन करें जिनके लिए आप अपना मत देना चाहते हैं, अपना मत दें, और सबमिट पर क्लिक करें। कहे जाने पर कनफर्म पर भी क्लिक करें।
6. पुष्टि के बाद सफलतापूर्वक मतदान किया गया संदेश दिखाई देगा।
7. कनफर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प को क्लिक कर आप अपने मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।
8. रिसोल्यूशन पर अपने मतदान की पुष्टि के बाद आपको अपने मतदान में संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

1 संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, हिंदू अविभाज्य परिवार, अनिवासी भारतीय आदि से भिन्न) से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान करने के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के नमूना हस्ताक्षर से विधिवत सत्यापित संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति संवीक्षक (Scrutinizer) को info@mehta-mehta.com पर मेल से भेज दें। इसकी एक प्रति evoting@nsdl.co.in को भी भेज दें।

2. आपको हिदायत दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें। सही पासवर्ड दर्ज करने के पाँच असफल प्रयासों के बाद ई-मतदान के लॉगइन को डिसेबल कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको www.evoting.nsdl.com पर पासवर्ड रीसेट करने के लिए उपलब्ध विकल्प Forgot User Details/Password? अथवा Physical User Reset Password? का चयन करना होगा।

3. संदेह होने पर आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड भाग में उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों के ई-मतदान यूजर मैनुअल को देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 पर फोन कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in अथवा amitv@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in पर श्री अमित विशाल, सीनियर मैनेजर अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, मैनेजर, एनएसडीएल को अपना अनुरोध भेज सकते हैं अथवा टेलीफोन नंबर +91-22-24994360 अथवा +91-9920264780 अथवा +91-22-24994545 पर फोन कर सकते हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए गए मतदान से संबंधित शिकायतों का समाधान भी करेंगे।

यूज़र आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने और इस सूचना में दिए गए संकल्प के ई-मतदान हेतु ई-मेल के पंजीकरण के लिए डिपॉजिटरियों के साथ अपना ई-मेल पंजीकृत न कराने वाले शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया:

1. शेयर कागज़ रूप में होने पर कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।
2. शेयर कागजरहित रूप में होने पर कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंक वाला लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित स्कैन प्रति) ईमेल से investor.complaints@sbi.co.in को भेज दें।
3. वैकल्पिक रूप से सदस्य बिंदु (1) अथवा (2), जैसी भी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evotingnsdl.co.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं।

आमसभा के दिन ई-मतदान करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं-

1. आमसभा के दिन ई-मतदान करने की कार्यविधि ऊपर दूर से ई-मतदान करने के लिए उल्लिखित अनुदेशों के समान ही है।
2. वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम सुविधा के जरिए आमसभा में उपस्थित होने वाले सदस्य/शेयरधारक एवं जिन्होंने दूर से ई-मतदान के जरिए संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है तथा जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा विवर्जित न किया गया हो, आमसभा सभा में ई-मतदान के जरिए मतदान करने के पात्र होंगे। सदस्य भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 के अनुसार मतदान करने के पात्र होंगे।
3. दूर से ई-मतदान करने वाले सदस्य आमसभा में हिस्सा लेने के पात्र होंगे। परंतु वे आमसभा के दिन मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. आमसभा के दिन ई-मतदान करने की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का पता आदि वही होगा, जो दूर से ई-मतदान के लिए दिया गया है।
5. बैंक को प्रत्यक्ष रूप से आमसभा आयोजित करने की अनुमति मिल जाने पर उन सदस्यों को टैबलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा दी जाएगी, जिन्होंने इससे पहले दूर से ई-मतदान नहीं किया है।

वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आमसभा में हिस्सा लेने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश नीचे दिए गए हैं:

1. एनएसडीएल ई-मतदान व्यवस्था के जरिए वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम से आमसभा में हिस्सा लेने की सुविधा सदस्य को दी जाएगी। दूर से मतदान के विवरण दर्ज कर शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत https://www.evoting.nsdl.com पर भी सदस्य यह सुविधा पा सकते हैं। शेयरधारक/सदस्यों के लॉगइन के तहत वीसी/अन्य आडियो विजुअल माध्यम का लिंक उपलब्ध है, जहां बैंक के ईवीईएन की जानकारी दी गई है। कृपया नोट कर लें कि वे सदस्य जिनके पास ई-मतदान का आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, सूचना में दूर से ई-मतदान करने के अनुदेशों का पालन कर अपने आईडी और पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, जिससे ऐन समय पर भागदौड़ न करनी पड़े। इसके अलावा सदस्य एनएसडीएल की ई-मतदान व्यवस्था पर लॉगइन के लिए ओटीपी आधारित लॉगइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्यों को लैपटॉप के जरिए सभा से जुड़ने की सलाह दी जाती है।
3. सभा के दौरान किसी भी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी स्पीड वाले इन्टरनेट का इस्तेमाल करना होगा।
4. कृपया नोट कर लें कि मोबाइल डिवाइस अथवा टैबलेट अथवा लैपटॉप से मोबाइल हॉटस्पाट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क के बार बार बंद होते रहने पर आडियो/वीडियो सुविधा भी रुक सकती है। इसलिए उपर्युक्त किसी प्रकार की अड़चन की संभावना को कम करने के लिए स्टेबल वाई-फाई अथवा लाइन कनेक्शन इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाता है।
5. आमसभा के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने के लिए इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं। वे 14 जुलाई 2020 को अपराह्न 3.00 बजे आमसभा शुरू होने से पहले अपना नाम, डीमैट खाता नंबर/फोलियो नंबर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपना अनुरोध investor.complaints@sbi.co.in को भेज सकते हैं।
6. वक्ता के रूप में पंजीकृत कराने वाले शेयरधारकों को ही अपने विचार बताने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। इनका उपयुक्त उत्तर बैंक द्वारा दिया जाएगा।

मतदान अधिकारों का निर्धारण:- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 11 में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन आमसभा की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को उसके द्वारा धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए इस सभा में एक वोट देने का अधिकार होगा। प्रत्येक शेयरधारक (केंद्र सरकार से भिन्न) जो उपर्युक्त अनुसार मतदान करने के पात्र हैं, को ऐसी सभा की तारीख से पहले तीन महीने की अवधि अर्थात 13.04.2020 तक धारित प्रत्येक 50 शेयरों के लिए एक वोट देने का अधिकार होगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) आमसभा में मतदान के तुरंत बाद, सर्वप्रथम आमसभा के दौरान डाले गए मतों की गिनती करेगा, उसके बाद ई-मतदान से डाले गए मतों को अनब्लॉक करेगा। आमसभा की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए कुल वोटों पर संवीक्षक (Scrutinizer) की समेकित रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी, जो इस पर प्रति हस्ताक्षर (काउंटर साइन) करेगा।

संवीक्षक (Scrutinizer) रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट https://evoting.nsdl.com पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके साथ ही बैंक परिणाम को नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को भेज दिया जाएगा।

कारपोरेट केंद्र
स्टेट बैंक भवन
मादाम कामा रोड
मुंबई-400 021
दिनांक: 10.06.2020

(रजनीश कुमार)
अध्यक्ष

SBI

भारतीय स्टेट बँक (भारतीय स्टेट बँक अधिनियम, 1955 अंतर्गत आयोजित)

सूचना

याद्वारे सूचित केले जाते की, खालील कामकाज करण्यासाठी, भारतीय स्टेट बँकेच्या शेअरधारकांची आमसभा, मंगळावार, दिनांक 14 जुलै 2020 रोजी दुपारी 3.00 वाजता, स्टेट बँक ऑडिटोरियम, स्टेट बँक भवन कॉम्प्लेक्स, मादाम कामा रोड, मुंबई-400 021 (महाराष्ट्र) येथे आयोजित केली आहे. जर परिस्थिती अनुकूल नसेल आणि स्थानिक अधिकाऱ्यानी प्रत्यक्ष सभेचे आयोजन करण्यास अनुमती नाकारली तर, सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC/अन्य दृक्-श्राव्य माध्यमातून (OAVM) केले जाईल ज्यात खालील कामकाज केले जाईल:

खालील ठराव विचारात घेणे आणि योग्य वाटल्यास दुरूस्ती सह किंवा दुरूस्तीविना **विशेष प्रस्ताव** म्हणून मंजूरी देणे:

'**ठराव केला जातो की,** भारतीय स्टेट बँक अधिनियम, 1955 (यापुढे 'अधिनियम' म्हणून संबोधले जाईल.) सोबत वाचला असता, भारतीय स्टेट बँक सर्वसाधारण अधिनियम, 1955 च्या तरतुदींना अनुसरून, आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूती आणि विनियमन बोर्ड (सेबी) तसेच/अथवा अन्य कोणतेही संबंधित आणि सुयोग्य प्राधिकरण, जे भारतात किंवा परदेशात असेल, त्यांचे अनुमोदन, सहमती आणि मंजूरी, जर काही असेल तर (असतील तर) त्यांच्या आणि त्यासंबंधित असल्यास, असे नियम, अटी आणि सुधारणांच्या अंतर्गत ज्या अशा प्रकारचे अनुमोदन, अनुमती, किंवा मंजूरी प्रदान करण्यासाठी त्यांनी निर्धारित केल्या असतील. आणि ज्यांसाठी बँकेचे केंद्रीय संचालक मंडळ (यापुढे **'बोर्ड'** असे संबोधले जाईल, ज्यात भारतीय स्टेट बँक सर्वसाधारण अधिनियम, 1955 चा अधिनियम 46 सोबत वाचला असता, या अधिनियमाचे कलम 30 अंतर्गत स्थापित केंद्रीय बोर्डाची कार्यकारिणी समिती) आणि केंद्रीय बोर्डाद्वारे आपल्या अधिकारांचा वापर (या ठरावाअन्वये दिले गेलेले अधिकार) करण्यासाठी विधिवत प्राधिकृत संचालकांची एखादी अन्य समिती असेल. आणि सेबी (इश्यू ऑफ कॅपिटल अँड डिस्क्लोजर रिक्रायरमेंट, अधिनियम, 2018) ('**ICDR अधिनियम**') ज्यातील दुरूस्ती अद्ययावत असेल, ज्या सेबी, भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि/किंवा आणि सर्व अन्य संबंधित अधिकारी, जे भारतात किंवा परदेशात असतील त्यांच्याकडून वेळोवेळी जारी लागू नियम, अधिनियम, दिशानिर्देश, परिपत्रके आणि अधिसूचना यांच्या अधीन असतील, आणि सेबी (लिस्टिंग उत्तरदायित्व आणि डिस्क्लोजर रिक्रायरमेंट्स) अधिनियम, 2015 ('**लिस्टिंग अधिनियम**') आणि स्टॉक एक्सचेंजसोबत केलेले लिस्टिंग अ‍ॅग्रीमेंट जिथे बँकेचे इक्विटी शेअर/GDR सूचीबद्ध आहेत आणि बँकेच्या शेअरधारकांची संमतीच्या अधीन आहेत आणि याद्वारे बोर्डाला अधिकार दिले आहेत:

क. प्रती शेअर रु. 1च्या इक्विटी शेअरची अशा संख्येत निर्मिती, प्रस्ताव, जारी किंवा वाटप करणे ज्यांची रक्कम रु. 20,000 कोटी (रुपये वीस हजार कोटी) (असल्यास प्रीमियमसह) किंवा अशा रकमेपेक्षा जास्त असणार नाही, जी भारत सरकार किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे मंजूर केली जाईल, तसेच सोबत अशी अट असेल की, कोणत्याही वेळी इक्विटी भांडवलातील भारत सरकारचा इक्विटी शेअर भांडवल 52% पेक्षा कमी नसेल. आणि हा शेअर पब्लिक इश्यू (म्हणजेच, यानंतर जनतेसाठी सादर केला जाणारा प्रस्ताव), किंवा राईट्स इश्यू किंवा प्रायव्हेट प्लेसमेंट ज्यात पात्र संस्थांमधील गुंतवणूक (QIP)/ग्लोबल डिपॉझिटरी पावत्या (GDR)/ अमेरिकन डिपॉझिटरी पावत्या (ADR) तसेच/किंवा अन्य दुसऱ्या स्वरूपातील किंवा त्यांच्याशी मिळत्या-जुळत्या स्वरूपात असतील, जसा बोर्डाद्वारे निर्णय घेतला जाईल.

ख. अशा इश्यूची संख्या, स्वरूप, मालिकांची संख्या आणि किंमत किंवा किंमती, सूट/प्रीमियम, कर्मचारी, ग्राहक, वर्तमान शेअरधारक आणि/किंवा अन्य व्यक्तीसाठी आरक्षित शेअर आणि वेळ आपल्या विवेकानुसार निर्धारित करणे, परंतु हे निर्धारण लागू नियम आणि अधिनियम, ICDR अधिनियम तसेच परकीय चलन व्यवस्थापन (नॉन-डेट इन्स्ट्रुमेंट) नियम, 2019, डिपॉझिटरी पावती योजना 2014 तसेच भारतीय स्टेट बँक अधिनियम, 1955 चे कलम 5(2) अन्वये भारत सरकार तसेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संमतीनेच होईल.

'**तसेच असाही ठराव केला जात आहे की,** पात्र संस्थांमधील गुंतवणूक (QIP)/FPO/राइट इश्यू/अन्य कोणत्याही स्वरूपात, जसे भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे मंजूर केले जातील, प्रस्तावित आणि वितरित इक्विटी शेअर्स डिमॅट स्वरूपात असतील तसेच, अशा प्रकारे NRI, FII आणि/किंवा अन्य पात्र परदेशी गुंतवणूकदारांना जारी आणि वितरित इक्विटी शेअर्स/GDR/ADR भारतीय रिझर्व्ह बँकद्वारे जारी दिशानिर्देश/नियम आणि अधिनियम यांच्या अधीन असतील.' 'तसेच असाही ठराव केला जात आहे की, पात्र संस्थात्मक गुंतवणूक (QIP)/FPO/GDR/ADR किंवा त्यांच्या मिळत्या-जुळत्या अन्य कोणत्याही स्वरूपात, जसे भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे मंजूर केले जाईल, प्रस्तावित किंवा वितरित केले जाणारे सर्व इक्विटी शेअर सर्व प्रकारे बँकेच्या वर्तमान इक्विटी शेअर्ससारखेच गुंतवले जातील आणि घोषणेच्या वेळी लागू वैधानिक तरतुदी/मार्गदर्शक तत्वे यानुसार जर काही लाभांश घोषित केला जाईल तर यांच्यावरही तो लाभांश मिळेल.'

'**तसेच असाही ठराव केला जात आहे की,** QIP प्रकरणी, इक्विटी शेअरचे वितरण 5% पर्यंतच्या सवलतीसह (डिस्काऊंट), जर काही असेल किंवा अशी एखादी सवलत जी सेबीद्वारे निर्धारित केली जाईल, फक्त पात्र संस्थात्मक ग्राहकांना QIP केले जाईल आणि अशा शेअर्सचे वितरण हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याच्या दिनांकापासून 12 महिन्यांच्या कालावधीमध्ये पूर्ण केले जाईल तसेच संबंधित दिनांक, वेळोवेळी दुरूस्ती केल्यानुसार सेबी (ICDR) अधिनियमाच्या तरतुदींच्या अधीन असेल.'

'**तसेच असाही ठराव केला जात आहे की,** शेअर्स जारी करणे, वाटप करणे किंवा ते सूचीबद्ध करण्यासाठी त्यांचे अनुमोदन, सहमती, अनुमती आणि स्वीकृती प्रदान करण्यासाठी/स्वीकारण्याच्या वेळी या प्रस्तावामध्ये अशा प्रकारची कोणतीही दुरूस्ती मान्य करण्याचा अधिकार बोर्डाला असेल जो भारत सरकार/भारतीय रिझर्व्ह बँक/सेबी/शेअर बाजार तसेच/किंवा अन्य दुसरे प्राधिकरण मग ते भारतात किंवा परदेशात असो, जिथे बँकेचे इक्विटी शेअर्स/GDR/ADR सूचीबद्ध आहेत किंवा सूचीबद्ध केले जाऊ शकतात किंवा अन्य सुयोग्य प्राधिकरणासाठी आवश्यक असतील किंवा त्यांच्या द्वारे लागू केले जातील किंवा ज्यांच्याना बोर्डाची सहमती असेल.'

'**तसेच असाही ठराव केला जात आहे की,** उपरनिर्दिष्ट बाबी अमलात आणण्यासाठी; बोर्डाला अशा प्रकारची कोणतीही कारवाई करण्याचे आणि सर्व कार्य करण्याचे, अशा सर्व कृतींची आणि गोष्टींची अंमलबजावणी करण्याचे, ज्या त्यांच्या विवेकानुसार आवश्यक, योग्य आणि वांछनीय समजल्या जातील; तसेच अशा कोणत्याही प्रकरणी जे मर्यादित नाही परंतु फक्त हेच समाविष्ट नाही, तसेच प्रमाण आणि स्वरूप, मालिकांची संख्या, किंमत किंवा किंमती, सूट/प्रीमियम, कर्मचारी, ग्राहक, वर्तमान शेअरधारक आणि/किंवा अन्य व्यक्तीसाठी आरक्षित शेअरबाबतच्या कोणत्याही समस्या किंवा शंका ज्या इक्विटी शेअर्स/GDR/ADR जारी करण्यासंबंधी उपस्थित होऊ शकतात, आणि असे सर्व दस्तावेज आणि लेखांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी तसेच अंमलबजावणीसाठी जे योग्य, सुयोग्य आणि वांछनीय असतील, ज्यासाठी त्यांच्या विवेकानुसार शेअरधारकांच्या अन्य कोणत्याही प्रकारची संमतीची आवश्यकता नसेल; किंवा अशा उद्देशाने आणि हेतूने प्राधिकृत केले जाते की या ठरावासाठी शेअरधारकांचे अनुमोदन स्पष्टपणे दिले गेल्याचे समजले जावे.'

कॉर्पोरेट केंद
स्टेट बँक भवन
मादाम कामा रोड,
मुंबई – 400 021
दिनांक 10.06.2020

रजनीश कुमार
अध्यक्ष

विवरणात्मक निवेदन

पब्लिक इश्यू (म्हणजेच, आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (FPO) किंवा प्रायव्हेट प्लेसमेंट ज्यात पात्र संस्थांमध्ये गुंतवणूक (QIP)/GDR/ADR आणि/किंवा अन्य कोणत्याही स्वरूपात किंवा त्यांच्या एकत्रित स्वरूपात जसे भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे मंजूर केले गेले आहे.

भारतात बेसल खखख भांडवल अधिनियम चरणबद्ध पद्धतीने लागू करण्याची मार्गदर्शक तत्वे दिनांक 1 एप्रिल 2013 पासून अमलात आला आहे. सदर मार्गदर्शक तत्वे दिनांक 30 सप्टेंबर 2020 पासून पूर्णपणे लागू केले जातील जे आरबीआय द्वारे मार्च 2019 पासून मार्च 2020 पर्यंत आणि नंतर सप्टेंबर 2020 पर्यंत स्थगित केले गेले होते. बँकेचे एकूण भांडवल पर्याप्तता प्रमाण (CAR) 31 मार्च 2020 को 13.06% सीईटी-1, भांडवल 9.77% सह होते. बँकेच्या केंद्रीय बोर्डाने असा निर्णय घेतला आहे की, बँकेने रिझर्व्ह बँक बेसल 3 च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, किमान भांडवल पर्याप्तता प्रमाण कायम ठेवणे आवश्यक आहे. परंतु, RWA (रिस्क वेटेड अ‍ॅसेट्स) मधील वाढ आणि नफ्याची पुनर्गंतवणूक याबाबतच्या अनुमानानुसार बँकेला आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये अतिरिक्त भांडवलाची गरज लागेल. COVID-19 मुळे वाढलेल्या अस्थिरतेच्या वातावरणात, आरबीआयचा विचार आहे की, अर्थव्यवस्थेला पाठबळ देण्यासाठी आणि तोटा सहन करण्याची आपली क्षमता कायम ठेवण्यासाठी बँकाना भांडवलाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.

याचबरोबर अचल संपत्तीच्या किंमतीमधील वाढ आणि भांडवल पर्याप्तता प्रमाणाची निर्धारित पातळी कायम ठेवण्यासाठी बँकांना पुरेशा भांडवलाची गरज आहे. खासकरून, कॅपिटल कॉन्झर्व्हेशन बफर (CCB) म्हणजेच सप्टेंबर 2020 पर्यंत अतिरिक्त 0.625%, आरबीआय द्वारे मार्च 2019 पासून मार्च 2020 पर्यंत पुन्हा सप्टेंबर 2020 पर्यंत दोन वेळा स्थगित (31.03.2020च्या पातळीच्या वर 1.865% प्रणालीगत स्वरूपात महत्त्वपूर्ण देशी बँका (DIB) म्हणजेच 0.6 टक्के 01.04.2019 पासून आणि काऊंटर सायक्लिकल कॅपिटल बफर (CCCB) पातळी 0%-2.5% जे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चार तिमाहींच्या मार्गदर्शक तत्वांवर अवलंबून असेल.त्यानुसार, चालू वर्ष आणि आगामी वर्षांमध्ये व्यवसायात होणारी वृद्धी यांचा विचार करता, अधिक भांडवल, खासकरून टियर-1 भांडवलाची अधिक गरज आहे. सुरूवातीच्या चरणात, अंतिम चरणातील सरासरीनुसार, आर्थिक वर्ष 21च्या भांडवली गरजांसाठी सुलभ परिवर्तन सुनिश्चित होऊ शकेल.

भारत सरकार सुधारणा कार्यक्रमाला अनुरूप उत्तरदायी आणि जबाबदार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी, भारत सरकारव्यतिरिक्त अन्य गुंतवणूकदारांना एकत्रित इक्विटी जारी करून आर्थिक वर्ष 2019 आणि 2020 दरम्यान इक्विटी भांडवलाला रु.20,000 कोटींची रक्कम देण्यासाठी सुधारणा कार्यक्रम सुरू केला होता. परंतु, बाजारातील परिस्थिती बाजारातून इक्विटी भांडवल गोळा करण्यासाठी अनुकूल नव्हती, ज्यात शेअर मूल्य कमी मूल्यापासून बुक व्हॅल्यूपर्यंत होते. पुढे, इक्विटी भांडवल गोळा करण्यासाठी, आरबीआय आणि भारत सरकारची मंजूरी 31 मार्च, 2020 पर्यंत लागू होती तर इक्विटी भांडवल गोळा करण्यासाठी शेअरधारकांची मंजूरी 6 सप्टेंबर डिसेंबर, 2029 रोजी समाप्त झाली होती. म्हणून, संचालक मंडळाने, FPO/QIP/प्राधान्यक्रमाने वितरण/राइट इश्यू/अन्य कोणत्या स्वरूपात किंवा त्यांच्या एकत्रिकरणाच्या माध्यमातून बाजारातून 20,000 कोटी रूपयांपर्यंत इक्विटी भांडवल गोळा करण्याची वैधता कालवधी 31 मार्च, 2021 पर्यंत वाढवण्यासाठी मंजूरी प्रदान केली आहे.

विविध उपलब्ध पर्यायांचे मूल्यांकन करून आणि सोबतच भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे जारी मार्गदर्शक तत्वं लक्षात घेऊन, बँकेने भांडवल गोळा करण्यासाठी बाजारात उतरण्याची योजना तयार केली आहे ज्यासाठी ती रु.20,000 कोटी (रुपये वीस हजार कोटी)पर्यंत किंवा अशी एक रक्कम जी भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकद्वारे मंजूर केली जाऊ शकते, त्यासाठी, प्रती शेअर रू.1 चे इक्विटी शेअर जारी करेल परंतु या अटीवर की, इक्विटी भांडवलात भारत सरकारचा भांडवली हिस्सा कोणत्याही वेळी 52% पेक्षा कमी होणार नाही. आणि बाजारातून पात्र संस्थागत प्लेसमेंट (QIP)/ आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (FPO)/ प्रायव्हेट प्लेसमेंट/ ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिट्स (GDRs) / अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसिट्स (ADRs) आणि / किंवा अन्य कोणत्याही स्वरूपात किंवा त्यांच्या एकत्रिकरणातून, जे बोर्डाद्वारे निर्धारित केले जाऊ शकते, एक किंवा एकापेक्षा अधिक मालिकांमध्ये जारी करेल आणि सोबतच असे नियम आणि अटी असतील ज्या बँकेच्या सर्वश्रेष्ठ हितासाठी योग्य समजल्या जातील. बँक बाजारातून भांडवल उभारणीसाठी आणि त्याच्या पद्धतींसाठी आरबीआय आणि भारत सरकारकडून आवश्यक मंजूरी मागेल आणि सेबी (LODR) अधिनियम, 2015 चा अधिनियम 41 संदर्भात, शेअरधारकांसाठी आवश्यक आहे की, त्यांनी प्रमाणाच्या आधारे त्यांना पेश न केले गेल्यास, अन्य एखाद्या सुरक्षा मुद्याला मंजूरी द्यावी. भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे मंजूर FPO/ प्रायव्हेट प्लेसमेंट/QIP/GDS/ADRs/आणि/किंवा त्यांच्या एकत्रिकरणाच्या माध्यमातून इक्विटी शेअर जारी करण्यासाठीचे विस्तृत नियम आणि अटी यांचे निर्धारण बोर्डाद्वारे विविध मध्यस्थांच्या आणि अशा अन्य संबंधित आणि सुयोग्य प्राधिकरणांच्या सल्ल्याने आणि अन्य प्रचलित घटकांचा विचार करून केले जाईल.

सदर इश्यूद्वारे उभारली गेलेल्या रकमांचा विनियोग; बँकेच्या दीर्घकालीन निधीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, बँकेच्या विकासासाठी आवश्यक भांडवली गरजा पूर्ण करण्यासाठी, बँकेच्या भांडवली खर्चांच्या तरतुदीसाठी आणि गुंतवणूक/कर्ज आणि अग्रीम रकमा देण्यासाठी, आपल्यां दीर्घकालीन संसाधनाची वृद्धी आणि अशा प्रकारे बँक आणि त्यांच्या सहाय्यक कंपन्या आणि सहकारी आणि अन्य सामान्य बँकिंग हेतूसाठी आर्थिक संरचना भक्कम करण्यासाठी करण्याची योजना आहे.

विशेष ठरावामध्ये बोर्डाला इक्विटी शेअर/GDR/FDR एक किंवा अधिक हप्त्यांमध्ये, अशा वेळी या वेळेवर, अशा किंमतीला किंवा किंमतींना आणि अशा गुंतवणूकदारांना जारी करण्याचे अधिकार प्रदान करणे आहे जसे बोर्ड आपल्या विवेकानुसार योग्य समजेल. संचालक मंडळ, सर्व संबंधित वैधानिक नियमांचे अनुपालनाच्या अधीन, पब्लिक इश्यूच्या माध्यमातून प्रस्तावित इक्विटी उभारण्यासंबंधित नियामक किंवा अन्य लागू मार्गदर्शक तत्वे, सूचना आणि परिपत्रके (म्हणजेच आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव) FPO किंवा QIP किंवा प्रायव्हेट प्लेसमेंट ज्यात ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसिट (GDS)/अमेरिकन डिपॉझिटरी रिसीट्स (ADR) आणि/किंवा अन्य एखाद्या माध्यमातून किंवा त्यांच्या एकत्रिकरणातून, भारत सरकार आणि आरबीआय द्वारे मंजूर केल्यानुसार, आपल्या मंजूरीसाठी शिफारस करत आहे.

व्हीसी/ओव्हीएम सुविधेच्या माध्यमातून सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्यासाठी आणि अंतरावरून ई-मतदान करण्यासह इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदान करण्यासाठी सर्वसाधारण सूचना

1. कोविड-19 महामारीच्या वाढता प्रकोप लक्षात घेऊन, शारीरिक अंतर राखण्याच्या मानदंडांचे पालन केले जाणे आवश्यक आहे. कॉर्पोरेट प्रकरण मंत्रालयाद्वारे जारी केले गेलेले दिनांक 8 एप्रिल 2020 चे परिपत्रक क्रमांक 14/2020, 13 एप्रिल 2020 चे परिपत्रक क्रमांक 17/2020 तसेच 5 मे 2020 रोजीचे परिपत्रक क्रमांक 20/2020 ('MCA परिपत्रक') आणि त्यानंतर सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ('सेबी परिपत्रक') द्वारे जारी केले गेलेले दिनांक 12 मे 2020च्या परिपत्रक क्रमांक SEBI/HO/CMD/CIR/P/2020/79 अनुसार EGM /AGM स्थानावर सभासदांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची गरज नाही आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा अन्य ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमातून आयोजित केली जावी.
2. बँकेच्या संचालक मंडळाद्वारे कॉर्पोरेट प्रकरण मंत्रालयाद्वारे आणि सेबी द्वारे जारी उपरनिर्दिष्ट मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.त्यामुळे सभासदांना आगामी सर्वसाधारण सभेमध्ये व्हीसी/अन्य ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमातून उपस्थित राहून सहभाग नोंदवू शकतात, ज्यासाठी सदस्यांना एकाच ठिकाणी उपस्थित असण्याची गरज नाही. सभेचे अनुमतीप्राप्त स्थान बँकेच्या कॉर्पोरेट केंद्राचे स्टेट बँक सभागृह असेल. बँकेच्या सदस्यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधश उपलब्ध केली जात असल्यामुळे, भारतीय स्टेट बँकेचा सर्वसाधारण अधिनियम, 1955 अन्वये, अधिनियम 34 मध्ये निर्धारित केल्यानुसार, प्रॉक्सीची नियुक्ती करणे आणि सदस्यांच्या वतीने मतदान करण्याची सुविधा या सर्वसाधारण सभेसाठी उपलब्ध नाही. मात्र, भारतीय स्टेट बँक सर्वसाधारण अधिनियम, 1955 चा अधिनियम 32 आणि 33 मध्ये निर्धारित केल्यानुसार व्हीसी/अन्य ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमातून सर्वसाधारण सभेस उपस्थिती नोंदवण्यासाठी आणि ई-मतदानाच्या माध्यमातून आपले मत देण्यासाठी प्राधिकृत प्रतिनिधीची नियुक्ती करण्यासाठी बॉडी कॉर्पोरेट पात्र असतील.
3. या सूचनेमध्ये उल्लेखित प्रक्रियेचे पालन करत, सदस्य सर्वसाधारण सभा सुरू होण्यापूर्वी किंवा सुरू झाल्यानंतर 30 मिनिटे व्हीसी/अन्य ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमातून सभेत सहभागी होऊ शकतात. प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य तत्वावर कमीत कमी 1000 सभासदांना व्हीसी/अन्य ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमातून सर्वसाधारण सभेमध्ये सहभाग नोंदवण्याची संधी दिली जाईल. यात मोठे शेअरधारक (2% किंवा त्यापेक्षा अधिक शेअर असणारे शेअरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत गुंतवणूकदार, संचालक, प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचारी आणि लेखापरीक्षण समिती, नामांकन आणि पारिश्रमिक समिती, हितसंबधी समिती, लेखापरीक्षक आदी सहभागी होणार नाहीत, ज्यांना प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या अटीशिवाय सर्वसाधारण सभेत सहभागी होण्याची परवानगी आहे.
4. भारतीय स्टेट बँक सर्वसाधारण अधिनियम, 1955 चा अधिनियम 24 अतंर्गत कोरमच्या निर्धारणासाठी व्हीसी/अन्य ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमातून सर्वसाधारण सभेत सहभाग नोंदवणाऱ्या सदस्यांची उपस्थिती मान्य केली जाईल.
5. कंपनी (व्यवस्थापन व प्रशासन) नियम, 2014 (दुरूस्ती केल्यानुसार) चा नियम 20 तसेच भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व आणि डिसक्लोजर रिक्रायरमेंट्स) अधिनियम, 2015 (दुरूस्ती केल्यानुसार)चा अधिनियम 44 सोबत (दुरूस्ती केल्यानुसार) वाचला असता, कंपनी बँकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजामध्ये आपल्या सदस्यांना अंतरावरून ई-मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देत आहे. यासाठी बँकेने नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (NSDL) सोबत प्राधिकृत एजन्सीच्या रुपात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी करार केला आहे. सर्वसाधारण सभेचा दिनांक म्हणजेच 14 जुलै 2020 रोजी सदस्यांना अंतरावरून ई-मतदान व्यवस्थेचा वापर आणि सभास्थळी मतदान करण्याची सुविधा NSDL द्वारे उपलब्ध करून दिली जाईल.
6. कॉर्पोरेट प्रकरणे मंत्रालयचे दिनांक 13 एप्रिल 2020 चे परिपत्रक क्रमांक 17/2020 ला अनुसरून सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याची सूचना बँकेची वेबसाइट www.sbi.co.in वर अपलोड केली गेली आहे. ही सूचना स्टॉक एक्सचेंज किंवा BSE तसेच नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडियाची वेबसाइट अनुक्रमे: www.bseindia.com व www.nseindia.com वर पाहता येईल आणि सर्वसाधारण सभेसंबंधी सूतना एनएसडीएल (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा प्रदान करणारी एजन्सी)ची वेबसाइट www.evoting.nsdl.com वर देखील उपलब्ध आहे.
7. कॉर्पोरेट प्रकरणे मंत्रालयाच्या परिपत्रकासह वाचले असता, कंपनी अधिनियम 2013 मधील लागू तरतुदींचे अनुपालन करताना, सर्वसाधारण सभेचे आयोजन व्हीसी/अन्य OAVM माध्यमातून केले जात आहे. परिस्थिती अनुकूल असल्यास आणि स्थानिक अधिकऱ्यांना सर्वसाधारण सभेच्या आयोजनास अनमुती दिली गेल्यास भारतीय स्टेट बँक अधिनियम आणि भारतीय स्टेट बँक सर्वसाधारण अधिनियम 1955 अन्वये सभा आयोजित केली जाईल.
8. भारतीय स्टेट बँक सर्वसाधारण अधिनियम, 1955 चा अधिनियम 7 अन्वये संयुक्त धारकांच्या प्रकरणी असा सभासद ज्याचे नाव कंपनीच्या सभासदांच्या रजिस्टरनुसार प्रथम येते, सर्वसाधारण सभेत मतदान करण्यास पात्र असेल, मात्र अंतरावरून ई-मतदान केले गेले नसेल या अटीवर.
9. जे सभासद व्हीसीमार्फत सभेस उपस्थित राहू इच्छितात आणि अंतरावरून ई-मतदान करू इच्छित नाहीत, त्यांना सर्वसाधारण सभेत ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्याची अनुमती दिली जाईल.

सभासदनांना अंतरावरून ई-मतदान करण्यासाठीच्या सूचना खालीलप्रमाणे:

अंतरावरून मतदान करण्याचा कालावधी 10 जुलै, 2020 रोजी भारतीय वेळेनुसार, सकाळी 10 वाजता सुरू होईल आणि दिनांक 13 जुलै, 2020 रोजी सायंकाळी 5 वाजता समाप्त होईल. त्यानंतर एनएसडीएलद्वारे अंतरावरून ई-मतदान करण्याचे मॉड्यूल बंद केले जाईल. सभासदाने एकदा मतदान केल्यानंतर मत बदलण्याची त्याला अनुमती नाही.

वरील कालावधीमध्ये, भारतीय स्टेट बँक सर्वसाधारण अधिनियम, 1955 चा अधिनियम 31 मध्ये निर्धारित दिनांकाला कागद किंवा अन्य कागदविरहित रूपात शेअर धारण करणारे बँकेचे सभासद अंतरावरून ई-मतदानाद्वारे आपले मतदान करू शकतात.

एनएसडीएलच्या ई-मतदान प्रणालीचा वापर करून मी इलेक्ट्रॉनिक मतदान कसे करू शकतो ? / शकते ?

एनएसडीएलच्या ई-मतदान व्यवस्थेचा वापर करून मतदान करण्याची प्रक्रिया दोन चरणांत आहे जी खालील प्रमाणे आहे:

चरण 1: https://www.evoting.nsdl.com वर एनएसडीएलच्या ई-मतदान प्रणालीवर लॉग-इन करा.

चरण 2: https://www.evoting.nsdl.com एनएसडीएल ई-मतदान प्रणालीवर इलेक्ट्रॉनिक रूपात आपले मतदान करा.

चरण 1 चा तपशील खालील प्रमाणे:

एनएसडीएलच्या ई-मतदान वेबसाइटवर लॉग-इन कसे करावे ?

1. एनएसडीएलची ई-मतदान वेबसाइट पहा. पर्सनल कॉम्प्युटर किंवा मोबाईलवर https://www.evoting.nsdl.com टाईप करून वेब ब्राऊझर उघडा.
2. एकदा ई-मतदान व्यवस्थेचे होम पेज येताच 'लॉग-इन' आयकॉनवर क्लिक करा, जो 'शेअरहोल्डर्स' भागात उपलब्ध आहे.
3. एक नवीन स्क्रीन उघडेल. तुम्हाला स्क्रीनवर दाखवल्यानुार आपला यूजर आयडी, पासवर्ड आणि व्हेरिफिकेशन कोड नोंदवावे लागेल.
   अन्यथा, जर तुम्ही एनएसडीएलच्या ई-सेवांसाठी म्हणजेच IDEAS साठी आपले नाव नोंदवले असेल तर तुम्ही तुमच्या सध्याच्या IDEAS लॉग-इनचा वापर करून https://eservices.nsdl.com वर लॉग-इन करू शकता. आपल्या लॉग-इन तपशीलासह एनएसडीएलच्या ई-सेवांवर लॉग-इन केल्यावर ई-मतदानावर क्लिक करा आणि चरण 2 नुसार आता तुम्ही तुमचे इलेक्ट्रॉनिक मतदान करूशकता.
4. तुमच्या यूजर आयडीचा तपशील खालील प्रमाणे:

शेअर कोणत्या स्वरूपात आहेत अर्थात कागदरहित/ डीमॅट (एनएसडीएल किंवा सीडीएसएल) किंवा कागदाच्या रूपात.	तुमचा यूजर आयडी:
क. असे सभासद ज्यांचे शेअर एनएसडीएलमध्ये डीमॅट खात्यात आहेत.	8 कॅरॅक्टर डीपी आयडी त्यानंतर 8 डिजिट क्लाएंट आयडी उदा. जर तुमचा डीपआयडी IN300*** आहे आणि क्लाएंट आयडी 12****** आहे तर तुमचा यूजर आयडी असेल IN300***12******
ख. असे सभासद ज्यांचे शेअर्स सीडीएसएल मध्ये डीमॅट खात्यामध्ये आहेत.	16 डिजिट लाभार्थी आयडी उदा. जर तुमचा लाभार्थी आयडी 12************** असेल तर तुमचा यूजर आयडी असेल 12**************
ग. कागदाच्या स्वरूपात शेअर धारण करणाऱ्या सदस्यांसाठी	सम क्रमांक त्यानंतर फोलिओ नंबर जो बँकेकडे नोंदला आहे. उदा. जर फोलिओ नंबर 001*** असेल आणि इव्हन नंबर 101456 असेल तर तुमचा यूजर आयडी असेल 101456001***

5 तुमच्या पासवर्डचा तपशील खालीलप्रमाणे:
क. जर तुम्ही ई-मतदानासाठी आधीच नावनोंदणी केली असेल तर, तुम्ही लॉग-इन करण्यासाठी तुमचा सध्याचा पासवर्ड वापरून मतदान करू शकता.
ख. जर तुम्ही प्रथमच एनएसडीएलची ई-मतदान व्यवस्थेचा वापर करत असाल तर, तुम्हाला प्रथम सूचित पासवर्ड रिट्रीव्ह करावा लागेल. सुरूवातीचा पासवर्ड रिट्रीव्ह करताच तुम्हाला सुरूवातीचा पासवर्ड नोंदवावा लागेल आणि सिस्टिम तुम्हाला तुमचा पासवर्ड बदलण्यास सांगेल.
ग. आपला सुरूवातीचल पासवर्ड रिट्रीव्ह कसा करायचा ?
(i) जर तुमचा ई-मेल आयडी तुमचे डीमॅट खाते किंवा बँकेकडे नोंदवलेला असेल तर, सुरूवातीचा पासवर्ड तुम्हाला तुमच्या ई-मेल आयडीवर पाठवला जाईल. आपल्या मेलबॉक्समध्ये एनएसडीएल द्वारे पाठवलेली ई-मेल शोधा. ई-मेल उघडून त्यातील अ‍ॅटचमेंट म्हणजेच एक पीडीएफ फाईल उघडा. एनएसडीएल खात्यासाठी तुमचा 8 अंकी ग्राहक आयडी, कागदाच्या रूपात धारण केलेले शेअरचे सीडीएसएल खात्याचा 8 अंकी ग्राहक आयडी किंवा फोलिओ नंबर हाच पीडीएफ उघडण्यासाठीचा पासवर्ड असेल. पीडीएफ फाईलमध्ये तुमचा यूजर आयडी आणि सुरूवातीचा पासवर्ड असेल.
(ii) जर तुमचा ई-मेल आयडी नोंदवलेला नसेल तर, ई-मेल न नोंदवणाऱ्या शेअरधारकांसाठी खाली दिलेल्या पद्धतीचा वापर करा.

6 जर तुम्ही सुरुवातीचा पासवर्ड रिट्रीव्ह करू शकत नसाल किंवा तुम्हाला तो मिळत नसेल किंवा तुम्ही तुमचा पासवर्ड विसरला असाल तर:
क. www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" वर क्लिक करा (जर एनएसडीएल किंवा सीडीएसएलच्या डीमॅटमध्ये तुमचे शेअर असतील तर)
ख. www.evoting.nsdl.com वर उपलब्ध "Physical User Reset Password?" वर क्लिक करा. (जर तुमे शेअर कागदाच्या स्वरूपात असतील तर.)
ग. जर तुम्ही वर दिलेल्या दोन्ही पर्यायांचा वापर करून पासवर्ड मिळवण्यास असमर्थ असाल तर तुम्ही evoting@nsdl.co.in वर आपली विनंती आपला डीमॅट खाते क्रमांक/फोलिओ क्रमांक, पॅन क्रमांक, नाव आणि नोंदणीकृत पत्ता यांच्या तपशीलासह पाठवू शकता.
घ. एनएसडीएलच्या ई-मतदान व्यवस्थेमार्फत मतदान करण्यासाठी, सभासद ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉग-इनचा वापर करू शकतात.

7 आपला पासवर्ड एंटर केल्यानंतर, "Terms and conditions"ची निवड करा आणि त्यासाठी सहमतीनंतर चेकबॉक्स वर बरोबरची खूण करा.

8 आता तुम्हाला 'लॉगइन'बटनावर क्लिक करावे लागेल.

9 'लॉगइन'बटनावर क्लिक केल्यावर ई-मतदानाचे होम पेज उघडेल.

चरण 2 चा तपशील खालीलप्रमाणे:

एनएसडीएलच्या ई-मतदान व्यवस्थेवर कशा प्रकारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून आपले मत द्यायचे ?

1. चरण 1 वर यशस्वीपणे लॉग-इन झाल्यानंतर तुम्हाला ई-मतदानाचे होम पेज दिसू शकेल. ई-मतदानावर क्लिक करा. त्यानंतर अ‍ॅक्टिव्ह व्होटिंग सायकल्सवर क्लिक करा.
2. अ‍ॅक्टिव्ह व्होटिंग सायकल्सवर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही अशा सर्व "EVEN" कंपन्या पाहू शकाल ज्यांचे शेअर्स तुमच्याकडे आहेत आणि ज्यांची व्होटिंग सायकल अ‍ॅक्टिव्ह स्टेटसमध्ये आहे.
3. बँकेच्या "EVEN" ची निवड करा जिथे तुम्हाला मतदान करायचे आहे.
4. व्होटिंग पेज उघडल्यानंतर तुम्ही ई-मतदानासाठी तयार आहात.
5. वरील पर्याय म्हणजेच अ‍ॅसेंट किंवा डिसेंट यातून निवड करून, अशा शेअर संख्येचा शोध घ्या ज्यांच्यासाठी तुम्हाला मत द्यायचे आहे. आपले मत द्या आणि 'सबमिट' वर क्लिक करा. सांगितल्यावर 'कन्फर्म' वर देखील क्लिक करा.
6. कन्फर्म केल्यानातर 'मतदान यशस्वीपणे केले गेले' असा संदेश दिसेल.
7. कन्फर्मेशन पेजवर प्रिंट पर्यायाला क्लिक करून तुम्ही आपल्या मतदानाची प्रिंटआऊट देखील घेऊ शकता.
8. ठरावावर आपले मतदान कन्फर्म केल्यानंतर तुम्हाला आपल्या मतदानामध्ये बदल करण्याची अनुमती असणार नाही.

शेअरधारकांसाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्वे:

1 संस्थात्मक शेअरधारकांकडून (म्हणजेच व्यक्ती, हिंदू अविभक्त कुटुंब, अनिवासी भारतीय, इ.व्यतिरिक्त) अपेक्षा केली जाती की, मतदान करण्यासाठी अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यांच्या (स्वाक्षरीकर्त्यांच्या) नमुना स्वाक्षरीने विधिवत सत्यापन केलेले बोर्ड ठराव/प्राधिकार पत्र, इ.ची स्कॅन केलेली प्रत छाननीकर्ता (Scrutinizer) कडे info@mehta-mehta.com वर मेलने पाठवावी.याची एक प्रत evoting@nsdl.co.in वर देखील पाठवावी.

2. आपणास सूचना दिली जाते की, आपला पासवर्ड अन्य कोणत्याही व्यक्तीला सांगू नये तसेच आपल्या पासवर्डची गोपनीयता राखण्यासाठी शक्य ती सर्व काळजी घ्यावी. योग्य पासवर्ड नोंदण्याच्या पाच अयशस्वी प्रयत्नांनंतर ई-मतदान वेबसाईटचे लॉग-इन डिसेबल केले जाईल. अशा वेळी, तुम्हाला www.evoting.nsdl.com वर पासवर्ड रीसेट करण्यासाठी उपलब्ध "Forgot User Details/Password? किंवा "Physical User Reset Password?" या पर्यायाचा वापर करावा लागेल.

3. कोणत्याही प्रकारची शंका असल्यास तुम्ही www.evoting.nsdl.com च्या डाऊनलोड विभागात उपलब्ध, शेअरधारकांद्वारे वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न तसेच शेअरधारकांचे ई-मतदान यूजर मॅन्युअल पाहू शकता किंवा टोल-फ्री नंबर 1800-222-990 वर फोन करू शकता किंवा evoting@nsdl.co.in किंवा amitv@nsdl.co.in किंवा pallavid@nsdl.co.in श्री अमित विशाल, सीनियर मॅनेजर, अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, मॅनेजर, एनएसडीएल यांच्याकडे आपली विनंती पाठवू शकता किंवा टेलिफोन नंबर +91-22-24994360 किंवा +91-9920264780 किंवा +91-22-24994545 वर फोन करू शकता. ते इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे केल्या जाणाऱ्या मतदानासंबंधीच्या तक्रारींचे निवारण देखील करतील.

यूजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवण्यासाठी, आणि या सूचनेमध्ये दिलेल्या ठरावावर ई-मतदान करण्यासाठी नोंदणी करण्याकरिता डिपॉझिटरीज् कडे आपला ई-मेल न नोंदवणाऱ्या शेअरधारकांसाठी प्रक्रिया:

1. जर शेअर कागदाच्या स्वरूपात असतील तर कृपया फोलिओ नंबर, शेअरधारकाचे नाव, शेअर प्रमाणपत्राची स्कॅन केलेली प्रत (पुढील आणि मागली पृष्ठभाग), पॅन (पॅनकार्डची स्वत:द्वारे सत्यापन केलेली स्कॅन प्रत), आधार कार्ड (आधार कार्डाची स्वत: सत्यापित केलेली स्कॅन प्रत) ई-मेल द्वारे investor.complaints@sbi.co.in वर पाठवावी.
2. शेअर कागदरहित स्वरूपात असल्यास, कृपया DPID-CLID (16 अंकी DPID+CLID किंवा 16 अंकी लाभार्थी आयडी), नाव, क्लाएंट मास्टर किंवा एकत्रित खात्याचे स्टेटमेंटची प्रत, पॅन (पॅनकार्डचीस्वत: सत्यापित केलेली स्कॅन कॉपी), आधार (आधार कार्डची स्वत: सत्यापित केलेली स्कॅन कॉपी) ई-मेल द्वारे investor.complaints@sbi.co.in वर पाठवावी.
3. अन्यथा, पर्याय म्हणून सभासद पॉइंट (1) किंवा पॉइंट (2), जशी परिस्थिती असेल, मध्ये उल्लेखित तपशील उपलब्ध करून यूजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवणसाठी evoting@nsdl.co.in वर देखील ई-मेल पाठवू शकतात.

सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी ई-मतदान करण्यासाठी सभादसांच्या सूचना खालीलप्रमाणे:

1. सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी ई-मतदान करण्याची प्रक्रिया दूरस्थ ई-मतदान करण्यासाठी दिलेल्या सूचनांसमान आहे.
2. व्हीसी/अन्य ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यम सुविधेच्या द्वारे सर्वसाधारण सभेला उपस्थित असणाऱ्या सभासद/शेअरधारकांना, ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून ठरावावर मतदान केले नाही, तसेच ज्यांना असे करण्यासाठी अन्यथा बंदी घातली गेलेली नाही, सर्वसाधारण सभेत ई-मतदानाद्वारे मतदान करण्यासाठी पात्र ठरतील.
3. दूरस्थ ई-मतदानाच्या माध्यमातून ज्यांनी मतदान केले आहे ते सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्यास पात्र असतील. मात्र त्यांना सर्वसाधारण सभेमध्ये मतदान करता येणार नाही.
4. सर्वसाधारण सभेच्या दिवशी ई-मतदान करण्याच्या सुविधेबाबत तक्रार करण्यासाठी संर्पक करण्याच्या व्यक्तीचा पत्ता इत्यादी तोच असेल जो दूरस्थ ई-मतदानासाठी दिला गेला आहे.
5. बँकेला प्रत्यक्ष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्याची अनुमती प्राप्त झाल्यास, अशा सदसयांनी टॅबलेटद्वारे मतदान करण्याची सुविधा दिली जाईल ज्यांनी यापूर्वी दूरस्थ ई-मतदान केलेले नाही.

व्हीसी/अन्य ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमातून सर्वसाधारण सभेत सहभाग नोंदवणाऱ्या सभासदांसाठी सूचना खालीलप्रमाणे:

1. एनएसडीएल ई-मतदान व्यवस्थेअंतर्गत व्हीसी/अन्य ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमातून सर्वसाधारण सभेमध्ये सहभाग नोंदवण्याच सुविधा सभासदांना दिली जाईल. दूरस्थ मतदानाचा तपशील नोंदवून शेअरधारक /सदस्यांच्या लॉग-इन अंतर्गत https://www.evoting.nsdl.com वर देखील सभासद ही सुविधा मिळवू शकतात. शेअरधारक/सभासदांच्या लॉग-इनमध्ये व्हीसी/अन्य ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमाची लिंक उपलब्ध आहे, जिथे बँकच्या EVEN बाबत माहिती दिली गेली आहे. कृपया नोंद घ्या की, असे सदस्य ज्यांच्याकडे ई-मतदानाचा आयडी किंवा पासवर्ड नाही किंवा जे आयडी किंवा पासवर्ड विसरले आहेत, त्यांनी सूचनेमधील दूरस्थ ई-मतदान करण्याच्या सूचनांचे पालन करून आपला आयडी आणि पासवर्ड रिट्रीव्ह करू शकतात. ज्यामुळे अशा आयत्या वेळी धावपळ करावी लागणार नाही. याशिवाय, सभासद एनएसडीएलच्या ई-मतदान प्रणालीवर लॉग-इन करण्यासाठी ओटीपी आधारित लॉग-इनचा वापरही करू शकतात.
2. अधिक चांगल्या प्रकारे काम करण्यासाठी सदस्यांना लॅपटॉपच्या माध्यमातून जोडले जाण्याचा सल्ला देण्यात येतो.
3. तसेच, सभेदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा अडथळा येऊ नये यासाठी सभासदांना चांगल्या स्पीडचे इंटरनेट वापरावे लागेल.
4. कृपया नोंद घ्या की, मोबाईल डिव्हाईस किंवा टॅबलेट किंवा लॅपटॉपद्वारे मोबाईल हॉटस्पॉटला जोडणाऱ्या सहभागीदारांना आपले संबंधित नेटवर्क सतत बंद पडल्यामुळे ऑडिओ/व्हिडिओ सुविधेत देखील अथडळे येऊ शकतात. यासाठी वरील प्रकारची कोणतीही अडचण येण्याची शक्यता कमी करण्यासाठी स्टेबल वाय-फाय किंवा लाईन कनेक्शन वापरण्याची शिफारस केली जाते.
5. सर्वसाधारण सभेदरम्यान आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी/प्रश्न विचारण्यासाठी इच्छुक शेअरधारक वक्त्याच्या रूपात नावनोंदणी करू शकतात. ते 14 जुलै 2020 रोजी दुपारी 3.00 वाजता सर्वसाधारण सभा सुरू होण्यापूर्वी आपले नाव, डीमॅट खाते क्रमांक / फोलिओ नंबर, ई-मेल आयडी, मोबाईलच नंबरचा उल्लेख करत, आपली विनंती investor.complaints@sbi.co.in वर पाठवू शकतात.
6. वक्त्याच्या रूपात आपले नाव नोंदवणाऱ्या सभासदांनाच आपले विचार व्यक्त करण्याची/प्रश्न विचारण्याची अनुमती दिली जाईल. त्यांना बँकेद्वारे उत्तर दिले जाईल.

मतदानाच्या अधिकारांचे निर्धारण: भारतीय स्टेट बँक अधिनियमाचे कलम 11 च्या तरतुदींअन्वये, सर्वसाधारण सभेची तारीख कमीत कमी तीन महिने आधी शेअरधारकाच्या रूपात नावनोंदणी असलेल्या प्रत्येक शेअरधारकाला त्याच्याद्वारे धारण केल्या गेलेल्या प्रत्येक 50 शेअर्ससाठी या सभेत एक मत देण्याचा अधिकार असेल. प्रत्येक शेअरधारक (केंद्रसरकार वगळून) जो वरीलनुसार मतदान करण्यास पात्र आहे, त्याला अशा सभेच्या तारीखेपूर्वी तीन महिने म्हणजेच 14.04.2020 पर्यंत धारण केलेल्या प्रत्येक 50 शेअर्ससाठी एक मत देण्याच अधिकार असेल.

छाननीकर्ता (Scrutinizer) सर्वसाधारण सभेत मतदान झाल्यानंतर लगेच, सर्वप्रथम सर्वसाधारण सभेत टाकलेल्या मतांची मोजणी करेल, त्यानंतर ई-मतदानाद्वारे टाकलेल्या मतांना अनब्लॉक करेल. सर्वसाधारण सभा संपल्यापासून 48 तासांच्या आत बाजूने अथवा विरुद्ध टाकलेल्या एकूण मतांवर छाननीकर्ता (Scrutinizer) चा एकत्रित अहवाल अध्यक्ष किंवा त्यांच्या द्वारे लेखी स्वरूपात प्राधिकृत व्यक्तीला सादर करेल जी यावर प्रती स्वाक्षरी करेल.

छाननीकर्ता (Scrutinizer) अहवालासह घोषित परिणाम लगेच बँकेची वेबसासट तसेच एनएसडीएलची वेबसाइट वर उपलब्ध करून देईल. याचसोबत बँकचे निकाल नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड व बीएसई लिमिटेड, जिथे बँकेचे शेअर सूचीबद्ध आहेत, त्यांच्याकडे पाठवण्यात येतील.

कॉर्पोरेट केंद
स्टेट बँक भवन
मादाम कामा रोड,
मुंबई – 400 021
दिनांक 10.06.2020

रजनीश कुमार
अध्यक्ष